वर्ष–10, अंक–11, पृष्ठ–52, नवंबर–2025, मूल्य–25 रुपए

ग्रामीण उपभोक्ता

जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता

दखल : मी लॉर्ड ! अब सुनवाई नहीं, फैसले का वक्त

किसान सेंटर : कीटनाशक का इस्तेमाल करें संभल कर...!

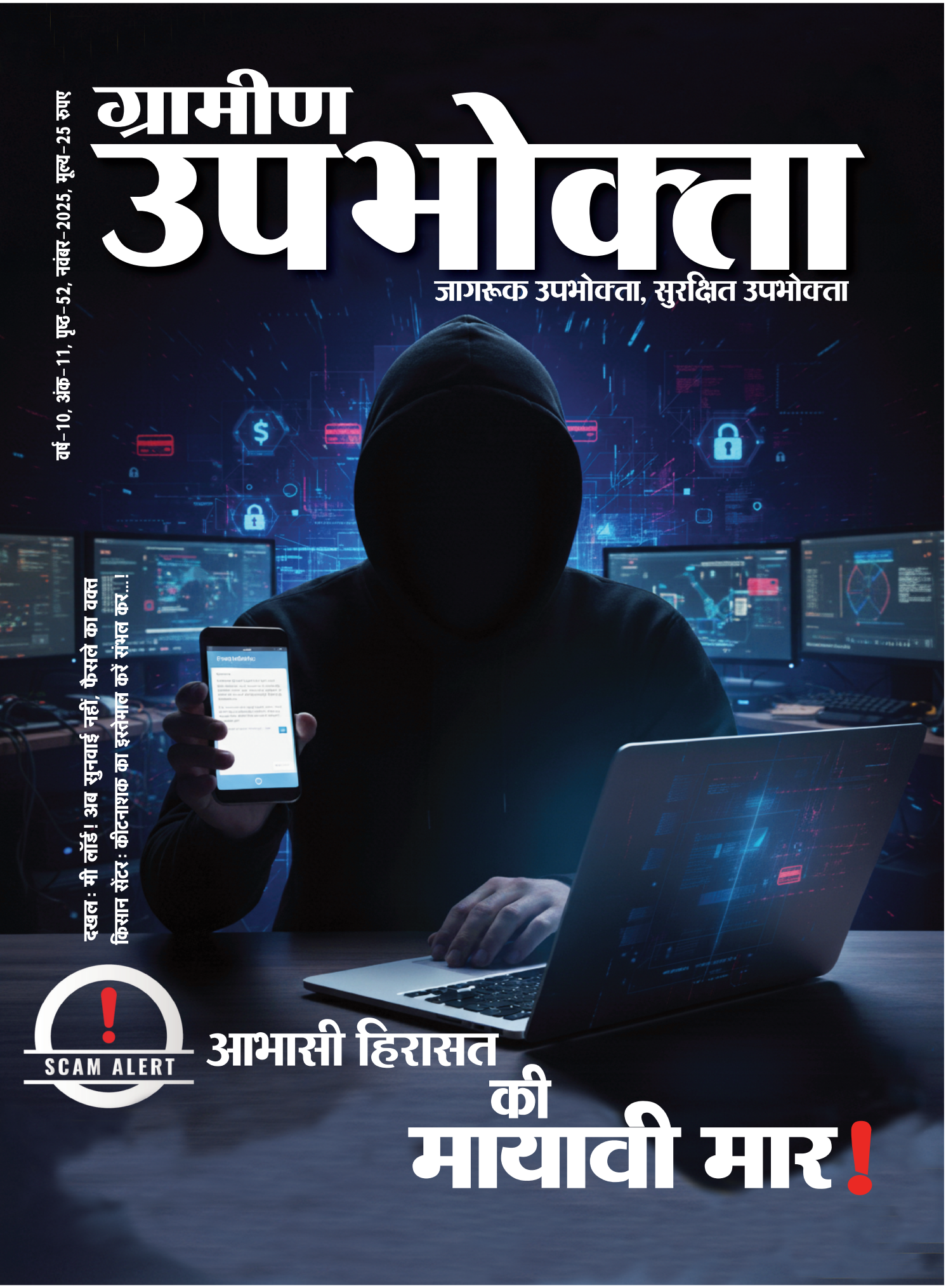

SCAM ALERT

आभासी हिरासत की मायावी मार!

NCUI हाट

coop

PROSPERITY THROUGH COOPERATION

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

विषयवस्तु

संपादकीय निदेशक
आशीष मिश्र
संपादक
बिनोद आशीष
समाचार संपादक
आरती झा
सहायक संपादक
अजय कुमार खुशबू
कॉपी डेस्क
सत्यम
विधिक सलाहकार
डी.के. दुबे

प्रशासनिक कार्यालय

101, शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संपर्क सूत्र

मो. नं.: +91-9899066717
graminupbhokta@gmail.com

प्रिंट लाइन

मुद्रक एवं प्रकाशक: प्रतिध्वनि मीडिया प्रा. लि. के लिए बिनोद आशीष द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित तथा पुरुराज प्रिंट एवं पैकेजिंग प्रा. लि. एल-19 सेक्टर-6 नोएडा (यूपी) 201301 से मुद्रित एवं ई-3 मिलाप नगर, नई दिल्ली-110058 से प्रकाशित

6

मी लॉर्ड! अब सुनवाई नहीं, फैसले का वक्त

आभासी हिरासत की मायावी मार...!
12

17

जो डर गया वो फंस गया...

'हवा-हवाई हवाई अड्डों के खुलने और बंद होने की कहानी

25

मेरे जीवन में दो प्रवृत्तियां : अध्ययन और राजनीति- दोनों में संघर्ष...

28

32

कीटनाशक का इस्तेमाल करें लेकिन जरा संभल कर...!

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता

JAGO GRAHAK JAGO

जागरूक उपभोक्ता

सुरक्षित उपभोक्ता

उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल

आप हासिल कर सकते हैं

हां, मैं ग्रामीण उपभोक्ता का ग्राहक बनना चाहता हूं / चाहती हूं

टिक करें	अवधि	कुल अंक	मूल्य (रु.)	आपको देना है(रु.)
☐	1 वर्ष	12	25	300
☐	3 वर्ष	36	25	900
☐	5 वर्ष	60	25	1500
☐	आजीवन (10 वर्ष)	120	25	3000

अपनी पसंद के ऑफर पर निशान लगाएं और ग्राहकी फॉर्म भरकर इस पते पर भेजें: 101 शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058

चेक / डीडी से भुगतान

मैं ग्रामीण उपभोक्ता के पक्ष में भेज रहा हूं.................दिनांक...............आहरित बैंक (बैंक का नाम) ....

चेक / डीडी नंबर.......................... दिल्ली से बाहर के चेक के लिए 50 रुपए अतिरिक्त दें। ऐट पार चेक के लिए लागू नहीं

नाम ....पता..

शहर............................ राज्य............................पिन............................फोन नंबर (निवास) ....

मोबाइल नंबर...ई मेल..

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।

ई-मेल : graminupbhokta@gmail.com

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता

JAGO GRAHAK JAGO

जागरूक उपभोक्ता

सुरक्षित उपभोक्ता

उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल

नाम..पता..

शहर............................राज्य............................पिन............................फोन नंबर (निवास)............................

मोबाइल फोन...ई मेल..

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।

ई-मेल : graminupbhokta@gmail.com

बचत उत्सव और ऑनलाइन कारोबार पर उठते सवाल

इस गुलाबी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। इस दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 25 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई। अधिकतर शिकायतें ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित थीं। शिकायतों के दो बातें सबसे ज्यादा पाई गईं। पहली, घटे हुए जीएसटी का फायदा नहीं मिलना यानी सामान उसी पुरानी महंगी कीमत पर मिलना और दूसरा घटिया सामान की जिम्मेदारी से लेने से ऑनलाइन कंपनियों का हाथ झाड़ लेना। यहां चर्चा ऑनलाइन कंपनियों की जिम्मेदारी के बारे में होगी।

देश में 22 सितंबर से जीएसटी सुधारों के दूसरे दौर की शुरुवात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इसे उपभोक्ता हितों के लिहाज से एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने जनता से इन सुधारों का फायदा उठाने का आग्रह करते हुए खरीदारी करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया। दावा किया गया किया गया कि जीएसटी दरों में कमी का फायदा आम लोगों को मिलेगा और लोग खरीदारी के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाया?

इस गुलाबी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। इस दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 25 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई। अधिकतर शिकायतें ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित थीं। शिकायतों में दो बातें सबसे ज्यादा पाई गईं। पहली, घटे हुए जीएसटी का फायदा नहीं मिलना यानी सामान उसी पुरानी महंगी कीमत पर मिलना और दूसरा घटिया सामान की जिम्मेदारी से लेने से ऑनलाइन कंपनियों का हाथ झाड़ लेना।

यहां चर्चा ऑनलाइन कंपनियों की जिम्मेदारी के बारे में होगी। ऑनलाइन कंपनियां अधिकतर उपभोक्ताओं की अनभिज्ञता का फायदा उठाती हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला 2024 का है, जो अमेज़न सेलर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाम उपभोक्ता के मामले में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई एवं न्यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्हा की पीठ ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार की धाराओं के अधीन अमेजन जैसी कंपनियां जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'Fulfilled by Amazon' टैग से उपभोक्ता को यह विश्वास होता है कि उत्पाद अमेजन की जिम्मेदारी में है- यह 'representation" का हिस्सा है। अमेजन का व्यवसाय मॉडल विक्रेता और खरीदार के बीच विश्वास के मध्यस्थ का नहीं, बल्कि व्यावसायिक संयोजक (business facilitator) का है। इसलिए उपभोक्ता को नुकसान होने पर अमेजन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस मामले की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो एक उपभोक्ता ने अमेजन इंडिया प्लेटफॉर्म से एक मोबाइल फोन खरीदा। कुछ ही दिनों में मोबाइल में गंभीर खराबी पाई गई। उपभोक्ता ने रिटर्न/रिफंड के लिए आवेदन किया परन्तु अमेजन ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि: वह तो केवल एक मध्यस्थ है, असली विक्रेता तीसरा पक्ष है। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की। आयोग ने अमेजन को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। यह निर्णय राज्य आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी बरकरार रखा। अंत में अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अमेजन की दलील थी कि, वह केवल एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म/मध्यस्थ है। विक्रेता और खरीदार के बीच लेनदेन अमेजन के नियंत्रण में नहीं होता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अमेजन को 'सेवा प्रदाता' नहीं माना जा सकता। विक्रेता का नाम और विवरण वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिया गया था, इसलिए जिम्मेदारी विक्रेता की है।

उपभोक्ता का कहना था कि, अमेजन ने उत्पाद की पैकेजिंग, डिलीवरी और पेमेंट — तीनों का नियंत्रण अपने पास रखा। अमेजन पर उत्पाद की 'Fulfilled by Amazon' टैग था, जिससे उपभोक्ता को यह लगा कि अमेजन ही विक्रेता है। ग्राहक सेवा अमेजन की थी, विक्रेता से सीधा संपर्क नहीं कराया गया। इस दृष्टि से अमेजन केवल एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं, बल्कि व्यवसायिक भागीदार के रूप में कार्य कर रहा था।

इन सारे तथ्यों के ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यदि कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विक्रय, भुगतान, पैकेजिंग या डिलीवरी प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है, तो वह केवल 'मध्यस्थ" नहीं बल्कि 'सेवा प्रदाता' माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले में एक उल्लेखनीय टिप्पणी की। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, ऑनलाइन कारोबार उपभोक्ताओं के भरोसे पर चलता है। यदि यह भरोसा टूटता है, तो पूरा डिजिटल अर्थतंत्र प्रभावित होता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे ऑनलाइन कारोबार के लिए एक दिशा निर्देश है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यह कह कर मामले से हाथ नहीं झाड़ सकता कि वह तो केवल विचौलिए की भूमिका में है यानी विक्रेता और क्रेता के बीच की कड़ी। हमारे देश में अधिकतर उपभोक्ताओं को बाजार के इस कपट की समझ या जानकारी नहीं होती और इसका बेजा फायदा उठाया जाता है।

FEEDBACK
misraashish02@gmail.com
M.N. -9899152489

आरती झा

मी लॉर्ड! अब सुनवाई नहीं, फैसले का वक्त

तय कीजिए, दिल्ली की सांसे थामने का दोषी कौन?

सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर में अप्रैल 2025 में गौरी कश्यप के एक वीडियो की प्रतिलिप प्रकाशित की गई जो दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की दखल से संबंधित है। ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका उस न्यूज़ लैटर प्रतिलिप के कुछ अंशों को यहां साभार प्रकाशित कर रही है ताकि इस मामले में आदालती दखल के संदर्भ में नौकरशाही के नकारेपन को उजागर किया जा सके।

प्रतिलिप के अंश

मैं गौरी कश्यप हूँ, और आज हम देश की राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पर बात कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर लगातार सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर टीम की मानसी शाह ने इन सभी सुनवाइयों पर नजर रखी है।

पिछले हफ्ते हमारे न्यूज़लेटर में, उन्होंने लिखा था कि इन सुनवाइयों में पटकथा शायद ही बदलती है। एक वकील मौजूदा हालात पर चिंता जताता है। पीठ चिंता जताती है, तीखे सवाल पूछती है, और अदालत एक और हलफ़नामा मांगती है। बातचीत आम मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैः ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP), वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, पटाखों पर प्रतिबंध और पराली जलाना।

मानसी: सुनवाई के दौरान एक ऐसा पल था जो सुनवाई पूरी होने के बाद भी मेरे ज़ेहन में ताज़ा रहा, शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत ही भावुक था। इस सीज़न में प्रदूषण से जुड़ी सभी बेंचों की अध्यक्षता कर चुके जस्टिस ए.एस. ओका शायद उस समय बहुत परेशान हो गए थे जब उन्होंने अदालत में एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "यह साफ़ है कि अधिकारियों ने इसे लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।"

गौरी: दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी लड़ाइयों में न्यायालय की भागीदारी का एक लंबा इतिहास रहा है। इसका पहला बड़ा हस्तक्षेप 1980 के दशक के मध्य में हुआ था, जब पर्यावरण वकील एम.सी. मेहता ने शहर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के अनुरोध के साथ न्यायालय से संपर्क किया था। तब से,

- दिल्ली में प्रदूषण के मामले की पहली आदालती फाइल 1980 में खुली
- सरकार किसी की हो, वोट और नोट की लालच में दिल्ली का दम निकला

न्यायालय ने प्रदूषण संबंधी विभिन्न चिंताओं के समाधान हेतु मेहता मामले को निरंतर खुला रखा है। लेकिन अगर अदालत वायु गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर है, तो उसे न केवल अधिकारियों पर दबाव बनाए रखना होगा, बल्कि उसे और भी बढ़ाना होगा। अगर अदालत इस मामले में लापरवाही बरतती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सांस फूलने वाली दिल्ली पर एक बार फिर वही धूसर आवरण छा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर में प्रकाशित उपरोक्त प्रतिलिप के सवाल बेहद संजीदा हैं। दिवाली के बाद प्रदूषण से बिलबिलाई दिल्ली उन्हीं सवालों को लेकर आज भी अदालत के सामने खड़ी है लेकिन तकलीफ इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह अपने आप में कोई सवाल नहीं है।

अब भारत और विशेषकर दिल्ली -एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की स्थित को लेकर विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों पर नज़र डालते हैं।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में कुल 81 लाख मौतें हुईं जिसमें से अकेले भारत में 21 लाख मौते शामिल हैं। द लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट तो आंकड़े और ज्यादा बताती है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार तो साल 2019 में ही दुनिया में करीब 90 लाख लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान गवां बैठे थे जिसमें से 24 लाख लोग भारत के थे। यानी दुनिया में प्रदूषण से जान गंवाने वाला हर चौथा व्यक्ति भारत का था।

प्रदूषण में भारत की स्थिति

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में भारत में

प्रदूषण से 24 लाख लोगों की मौत होती है। सर्दियों के मौसम में हर साल दिल्ली में वायु प्रदूषण अपनी पीक पर होता है। पिछले साल सर्दियों में केवल 2 दिन ही ऐसे थे, जब दिल्ली की हवा प्रदूषित नहीं थी।

प्रदूषण से होने वाली मौतों में से लगभग 90 प्रतिशत गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, मधुमेह और डिमेंशिया के कारण हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण से मृत्यु दर प्रति 1 लाख लोगों पर 186 है, जबकि उच्च-आय वाले देशों में यह मात्र 17 प्रति 1 लाख है।

लोकल सर्किल का ऑनलाइन सर्वेक्षण

नागरिक सहभागिता मंच लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली-एनसीआर में चार में से तीन परिवार जहरीली हवा के दुष्प्रभावों के कारण गले में खराश, खांसी से लेकर आंखों में जलन, सिरदर्द और नींद न आने जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

इस संबंध में समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि सर्वेक्षण के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि दीपावली के बाद पीएम 2.5 का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है।

यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है और त्योहार से पहले के स्तर 156.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से तीन गुना अधिक है। 20 अक्टूबर को दीपावली की रात और अगली सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ गया।

लोकल सर्किल्स द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के निवासियों से प्राप्त 44,000 से अधिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।

सर्वेक्षण से पता चला कि 42 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके एक या एक से अधिक सदस्यों को गले में खराश या खांसी है, जबकि 25 फीसदी ने बताया कि परिवार के सदस्य आंखों में जलन, सिरदर्द या नींद न आने जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। लगभग 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सांस लेने में कठिनाई या अस्थमा के बढ़ने की बात कही।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में कुल 81 लाख मौतें हुईं जिसमें से अकेले भारत में 21 लाख मौते शामिल हैं। द लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट तो आंकड़े और ज्याद बताती है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार तो साल 2019 में ही दुनिया में करीब 90 लाख लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान गवां बैठे थे जिसमें से 24 लाख लोग भारत के थे। यानी दुनिया में प्रदूषण से जान गंवाने वाला हर चौथा व्यक्ति भारत का था।

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार (25 अक्टूबर) सुबह दिल्ली का समग्र एक्यूआई 261 के साथ 'खराब" श्रेणी में रहा, जबकि एक दिन पहले यह 290 था। आनंद विहार में 415 का 'गंभीर" एक्यूआई दर्ज किया गया, जो सभी निगरानी केंद्रों में सबसे

प्रदूषण की समस्या पूरे भारत के हर एक विशाल होते शहर की है। शहरी नियोजन का अभाव, बेलगाम यातायात एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकृत रूप और खेती एवं उद्योग के कबायली संस्कार इन पनपते महानगरों की एक भयावह तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। देश के महानगरों एवं दिल्ली का तो हाल ही निराला है। सोचा जा सकता है कि 1980 के दशक के मध्य से दिल्ली एवं आसपास के इलाके में प्रदूषण का मामला अदालत की फाइलों में खुल गया लेकिन आज 40 साल बीतने के बाद भी उस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं आया।

अधिक है।

लोकल सर्किल्स सर्वेक्षण के अनुसार, 44 प्रतिशत परिवार खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए बाहर कम समय बिताने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

लगभग एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने प्रदूषण संबंधी बीमारियों के लिए या तो डॉक्टरों से परामर्श लिया है या करने की योजना बना रहे हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 को पार कर गया था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा पीएम 2.5 के लिए अनुशंसित स्तर से लगभग 24 गुना अधिक है।

प्रदूषण क्यों बन कर रह जाता है एक सीज़नल सवाल ?

वैसे तो प्रदूषण की समस्या पूरे भारत के हर एक विशाल होते शहर की है। शहरी नियोजन का अभाव, बेलगाम यातायात एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकृत रूप और खेती एवं उद्योग के कबायली संस्कार इन पनपते महानगरों की एक भयावह तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। देश के महानगरों एवं दिल्ली का तो हाल ही निराला है। सोचा जा सकता है कि 1980 के दशक के मध्य से दिल्ली एवं आसपास के इलाके में प्रदूषण का मामला अदालत की फाइलों में खुल गया लेकिन आज 40 साल बीतने के बाद भी उस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं आया।

वजह क्या है ?

दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें रही। डीजल बसों की जगह सीएनजी और अब बिल्डरों की गगनचुंबी इमारतों ने ले ली। आबादी 50-60 लाख से बढ़ कर चार गुणा यानी 2 से ढाई करोड़ तक पहुंच गई। इलेक्ट्रिक बसें आ गईं। रिहायशी इलाकों का बेतरतीब फैलाव होता गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों की हरियाली दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में विकसित शहरों का भार भी दिल्ली पर पड़ता ही रहा।

योजनाएं बनी लेकिन, इतनी विशाल आबादी के लिए बुनियादी ढांचा आज तक नहीं तैयार हो पाया। यह भी सही है कि जो कुछ सोचा गया उसमें प्रदूषण का सवाल ही गौण था। जनसंख्या के हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, जो था वह भी चलने लायक नहीं था। नतीजे में सड़कों पर निजी वाहनों की भरमार हो गई। सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का है। दूसरा, लगातार निर्माण गतिविधियों के कारण और तीसरा औद्योगिक या आसपास के प्रदेशों से सीजनल तौर पर आने वाला प्रदूषण है।

करना क्या चाहिए?

सबसे पहले तो प्रदूषण संबंधी अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए वरना उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को प्रभावी और अफोर्डेबल बनाया जाए। सीखना चाहिए, सिंगापुर के जर्मनी की व्यवस्थाओं से जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जन परिवहन के लिए सब्सिडी देती है ताकि प्रदूषण को घटाया जा सके। तीसरा, दिल्ली एवं उसकी सीमा से लगे 100 किलोमीटर के इलाके के लिए प्रदूषण एवं यातायात संबंधी एक ही नीति अमल में लाई जाए जिससे कि तालमेल की कमी का मसला सामने न आए।

चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव को कम करना। यह बात लोगो को समझनी होगी कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। दिल्ली का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है। वह इतनी विशाल जनसंख्या के बोझ को नहीं झेल सकता। उससे कैसे निपटा जा सकता है यह सोचा जाना चाहिए।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका की समाचार संपादक हैं

विष्णु स्वरूप

बैंक खाते में एक नहीं क्रमवार बनाइए चार नॉमिनी

अगले महीने से बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी का विकल्प चुन सकेंगे। इस सुविधा का मकसद बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान में एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में इस फैसले की जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

ग्राहकों को कैसे मिलेगा नई सुविधा का लाभ?

नए संशोधनों के अनुसार ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार लोगों को नामांकित कर सकते हैं। इससे जमाकर्ताओं और उनके नामांकित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान सरल हो जाएगा।

नए बदलावों के बाद जमाकर्ता अपनी पसंद के अनुसार एक साथ या क्रमिक नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं। सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के लिए नामांकन के संबंध में केवल क्रमिक नामांकन की ही अनुमति है।

इंडिया पोस्ट कंपटीशन के मूड में जनवरी से गारंटी आधारित मेल सेवा

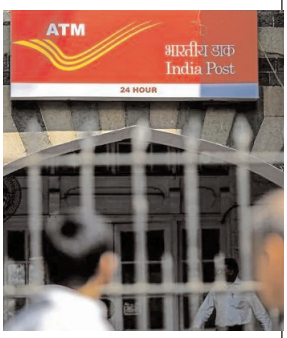

भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) जनवरी 2026 से अपनी सेवाओं में क्रांति लाते हुए गारंटी-आधारित मेल और पार्सल डिलीवरी सेवा शुरू करेगा। इस नई पहल के तहत, ग्राहकों को 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर डिलीवरी की निश्चित समय-सीमा (टाइमलाइन) सुनिश्चित की जाएगी। यानी आपको अब 24 से 48 घंटों के भीतर आपका सामान गारंटी के साथ डिलीवर होगा। इस सेवा की शुरुआत होने से प्राइवेट कोरियर कंपनी या पार्सल सेवा देने वाली कंपनियों को जोरदार टक्कर मिलने की संभावना है।

नई सेवाओं का विवरण

ये नई सेवाएं मौजूदा स्पीड पोस्ट नेटवर्क को अपग्रेड करेंगी। इसके तहत, मेल की डिलीवरी 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। इस सेवा के माध्यम से डिलीवरी 48 घंटे के अंदर पूरी होगी। डाक विभाग की तरफ से एक अन्य महत्वपूर्ण कदम की घोषणा में बताया गया है कि जल्दी ही 'अगले दिन पार्सल डिलीवरी' सेवा भी शुरू की जाएगी। इस सेवा से पार्सल की डिलीवरी में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में लगने वाले 3 से 5 दिनों के बजाय पार्सल अगले ही दिन डिलीवर हो सकेगा।

इंडिया पोस्ट को 'प्रॉफिट सेंटर' बनाने का लक्ष्य

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया पोस्ट के वित्तीय भविष्य पर बात करते हुए कगा कि, सरकार का व्यापक लक्ष्य भारतीय डाक को 2029 तक केवल एक 'कॉस्ट सेंटर' (खर्च का केंद्र) के बजाय एक 'प्रॉफिट सेंटर' (लाभ केंद्र) में बदलना है। यह पहल इंडिया पोस्ट को निजी कोरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और ग्राहकों को समयबद्ध, भरोसेमंद डिलीवरी सुनिश्चित करके अपनी दक्षता और राजस्व बढ़ाने में मदद करेगी।

FSSAI ने ORS शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। FSSAI ने आदेश जारी कर कहा है कि अब कोई भी खाद्य या पेय उत्पाद बनाने वाली कंपनी अपने ब्रैंड नाम में ओआरएस (Oral Rehydration Salts) शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, जब तक कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित असली ओआरएस फॉर्म्युले पर आधारित न हो। पहले कंपनियों को यह छूट दी गई थी कि वे अपने उत्पाद के नाम के साथ 'ORS' शब्द को प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, बशर्ते वे यह चेतावनी लिखें कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिकमंडेड ओआरएस फॉर्म्युला नहीं है। लेकिन, अब FSSAI ने इस अनुमति को पूरी तरह वापस ले लिया है। यानी अब किसी भी तरह की चेतावनी देने के बाद भी ओआरएस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। FSSAI ने साफ कहा कि कई कंपनियां अपने फ्रूट बेस्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या रेडी-टू-ड्रिंक उत्पादों को ORS 'जैसा दिखाकर बेच रही थी, जबकि उनमें WHO फॉर्म्युले के अनुसार जरूरी मात्रा में ग्लूकोज, सोडियम और पोटैशियम नहीं होते। ऐसे उत्पाद न सिर्फ भ्रामक है बल्कि बीमार या डिहाइड्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकते है।

उल्लंघन करने पर कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऐक्ट, 2006 की 52 और 53 के तहत कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत सभी उत्पादों से 'ORS' शब्द हटवाए और लेबलिंग व विज्ञापन के नियमों का सख्ती से पालन कराएं। यह फैसला आम लोगों के हित में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ORS एक जीवनरक्षक घोल है जिसका इस्तेमाल डिहाइड्रेशन और दस्त जैसी स्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। इसलिए अब बाजार में जो भी उत्पाद ORS नाम से मिलेगा, वह वास्तव में WHO मानकों के अनुरूप ही होगा।

फास्ट टैग के सालाना प्लान को लोगों ने हाथों-हाथ लिया

15 अगस्त 2025 को लॉन्च किए गए FASTag एनुअल पास ने अब तक 25 लाख उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) का आंकड़ा पार कर लिया है, और लॉन्च के बाद दो महीनों में कुल 5.67 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए हैं, एक आधिकारिक बयान में यह बताया गया। यह एनुअल पास राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाइवे) के यूजर्स को एक सहज और किफायती यात्रा का विकल्प प्रदान करता है और यह लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर लागू होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे पर स्थित हैं।

FASTag एनुअल पास की प्रमुख बातें

फास्टैग बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं :

यह पास एक बार 3,000 रुपए का शुल्क लेकर एक वर्ष की वैधता या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स की सुविधा प्रदान करता है।

सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए :

यह पास सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए वैध है, जिनमें एक सक्रिय FASTag लिंक किया गया हो।

ऑटोमैटिक एक्टिवेशन:

यह पास एक बार शुल्क भुगतान के बाद दो घंटे के भीतर आपके मौजूदा FASTag से सक्रिय हो जाता है। भुगतान राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।

नॉन-ट्रांसफरेबल:

यह पास नॉन-ट्रांसफरेबल है और केवल राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे (एनई) टोल प्लाजा पर ही मान्य है।

राज्य मार्गों पर उपयोग:

एक्सप्रेस वे, राज्य राजमार्गों (एसएच) और राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित टोल प्लाजा पर, FASTag मौजूदा वॉलेट बैलेंस का उपयोग करेगा, जिसे राज्य राजमार्गों के टोल और पार्किंग शुल्क आदि के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

यह पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य टोल संग्रहण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है, साथ ही यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

DTC में महिलाओं के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड

दिल्ली सरकार शहर की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिल्ली सरकार का दिल्ली परिवहन निगम महिलाओं के लिए 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' लॉच करने जा रहाहै। ये पिंक स्मार्ट कार्ड मौजूदा पिंक टिकट की जगह लाया जा रहा है। पिंक स्मार्ट कार्ड के साथ महिलाओं को दिल्ली की सरकारी बसों में पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताते चलें कि दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को यात्रा करने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होती है। बसों में महिलाओं को पिंक टिकट मिलता है, जो पूरी तरह से फ्री है।

स्कीम को शुरू करने के लिए पूरी हो चुकी हैं काफी तैयारियां

डीटीसी के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मंजूरी मिलने के बाद दीपावली के बाद पिंक स्मार्ट कार्ड को लॉच किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि स्कीम को लेकर काफी तैयारियां हो चुकी हैं और कई बसों में कार्ड रीडर मशीनें भी उपलब्ध करा दी गई हैं। खबरों के मुताबिक, दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडरों के लिए भी ये पिंक स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि पिंक स्मार्ट कार्ड पर महिला यात्री का नाम और फोटो के साथ और भी कुछ जरूरी डिटेल्स होंगी।

डीटीसी की वेबसाइट से कराना होगा रजिस्ट्रेशन

ये पिंक स्मार्ट कार्ड सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए ही वैध होगा। अभी डीटीसी बसों में सभी राज्यों और शहरों की महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिल रही है। पिंक स्मार्ट कार्ड लॉच होने के बाद डीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बैंक द्वारा केवाईसी के बाद ही जारी किया जाएगा। डीटीसी के अधिकारियों की मानें तो कार्ड प्राप्त करने के बाद इसे डीटीसी के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए एक्टिव किया जाएगा। जिसके बाद इसे बस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। महिला यात्रियों को सफर के दौरान इसे कंडक्टर को देना होगा और मशीन में टैप कराना होगा, जिससे यात्रा की डिटेल्स रिकॉर्ड की जा सकेंगी।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

बिनोद आशीष

आभासी हिरासत की मायावी मार...!

डिजिटल अरेस्ट यानी आभासी हिरासत। साइबर स्कैम की दुनिया की एक ऐसी मायावी मार जो आजकल लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। रोज-बरोज अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को ठगने की होती हैं। पुलिस तक शिकायत पहुंचने के पहले ही ठग अपना काम पूरा करके उसकी पहुंच से दूर जा चुके होते हैं। आभासी हिरासत का शिकार व्यक्ति सम्मोहन के जाल में फंस कर अपना सब कुछ गंवा देता है। ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका ने डिजिटल अरेस्ट यानी आभासी हिरासत के शातिर प्रपंच के विभिन्न आयामों की पड़ताल की और उपभोक्ताओं को उसके स्याह सच से अवगत कराने की कोशिश की है।

- साइबर ठगी की दुनिया में स्कैमर्स का नया दांव
- स्कैमर्स के अधिकतर शिकार पैसे वाले लोग
- कई दिनों या हफ्तों तक चलता है स्कैमर्स का खेल

लखनऊ पीजीआई अस्पताल की डा रुचिका टंडन को एक अगस्त 2025 को सुबह एक फोन आता है। फोन पर बताया जाता है कि, हम ट्राई (टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी) से बोल रहे हैं। पुलिस ने आपका फोन बंद करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि मुंबई में आपके नंबर के खिलाफ 22 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस नंबर से लोगों को उत्पीड़न के मैसेज जा रहे हैं। डॉ. टंडन ने ऐसा होने से इनकार किया तो फोन करने वाले ठग ने कहा कि, हो सकता है किसी ने आपको फंसाया हो। आप पुलिस अफसर से बात कर लें। आईपीएस का वेश धरे शख्स ने कहा कि बात सिर्फ आपके फोन नंबर की नहीं है, आपके खाते से भी 7 करोड़ रुपए की मनी लाड्रिंग हुई है। आपको तत्काल अरेस्ट करने के आदेश हुए हैं। आप कहीं आ-जा नहीं सकतीं। हम आपको डिजिटली कस्टडी में लेते हैं। आप इस बात को किसी को बता नहीं सकतीं, बताया तो तीन से पांच साल की जेल और होगी। ठगों ने उनसे एक नया फोन खरीदने को कहा और उसमें व्हाट्सऐप और स्काइप डाउनलोड करवाकर उन्हें कनेक्टेड रखा। इसके बाद बहरूपिए ठगों ने वीडियो कॉल पर सात दिनों तक पूरा केस चलाया। डा टंडन के मुताबिक, वीडियो पर कोर्टरूम था, जज थे, आईपीएस अफसर और सीबीआई वाले भी थे। उन लोगों ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए सभी अकाउंट्स में जो भी पैसा है, उसे सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है तो पैसा वापस हो जाएगा। इन ठगों की वीडियो स्क्रीन पर सीबीआई का लोगो था और सभी ने अपने परिचय पत्र भी दिखाए। टंडन के पांच खातों से ठगों ने 2.81 करोड़ रुपए अपने सात विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए। वे एक से आठ अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट पर रहीं और 10 तारीख को उन्होंने पुलिस को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की।

इसी तरह के मामले में, नोएडा के सेक्टर 49 में रहने वाली 73 साल की एक महिला को 13 जून को डिजिटल ठगों ने कूरियर कंपनी का कर्मचारी बनकर डराया कि आपके नाम अवैध सामान भरा एक पैकेट बरामद हुआ है। इस बॉक्स के भीतर आपके आधार, पैन और पासपोर्ट के डिटेल मिले हैं। महिला से पांच दिनों तक बात होती रही। पांचवें दिन उसे 24 घंटे में पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के नाम पर किस्तों में 1.30 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। बाद में महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

विभिन्न राज्यों में ऐसे ढेर सारे मामले दर्ज है और साइबर ठगी देश में इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को चूना लगाना शुरू

कर दिया है। इसमें आपका मोबाइल फोन ही साइबर ठगों के लिए हथियार का काम करता है। ठगी के इस नए रूप में आपके फोन से आपके ही घर में लूट का तरीका अख्तियार किया जाता है और फिर बदमाशों के झासे में फंसते हुए लोग अपनी जिंदगी भर की लाखों, करोड़ो की कमाई गंवा बैठते हैं। देश के हर शहर में डाक्टर, इंजीनियर, व्यापारी से लेकर पूर्व पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तक इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और आते जा रहे हैं।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम की सुर्खियां सामने आने के बाद खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है और फोन के रिंग टोन से बार-बार आम लोगों को इससे बचाने के लिए चेतावनी देना शुरू किया है।

साइबर ठगों ने लोगों का आर्थिक दोहन और शोषण करने के लिए एक नया और खतरनाक तरीका अपनाकर इसे डिजिटल अरेस्ट नाम दे दिया है। इस शब्दावली के दो हिस्से हैं डिजिटल अरेस्ट और स्कैम या ठगी। इससे पहले की हम डिजिटेल अरेस्ट को समझें, यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के कानून में इस तरह का कोई शब्द नहीं है। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भ्रामक रणनीति है। इसमें अक्सर फोन पर या आनलाइन संचार

पूरे स्कैम की शुरुआत एक सरल मैसेज, ईमेल, या व्हाट्सऐप संदेश से होती है। दावा किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। इसके बाद उसे वीडियो या फोन कॉल करके कुछ खास प्रक्रिया से गुजरने के लिए दबाव डाला जाता है और पुष्टि के लिए कई तरह की जानकरियां भी मांगी जाती हैं। ऐसे कॉल करने वाले खुद को पुलिस, नॉरकोटिक्स, साइबर सेल पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स या सीबीआई अधिकारियों की तरह पेश करते हैं।

के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का झूठा दावा किया जाता हैं। मकसद केवल लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर पीड़ित को यह यकीन दिलाना है कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और आखिरकार उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली जाती है। ठगी के ये गिरोह इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सुनियोजित तरीके से अमलीजामा पहनाते है ताकि वारदात होने के बाद पीड़ित व्यक्ति कुछ दिनों तक तनाव में ही सही अपराध की रिपोर्ट दर्ज ना करा सके। एक तरह से साइबर ठग लोगों को ऑनलाइन माध्यम से डराकर उनसे फिरौती मांगते हैं। यही डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है। लेकिन, इस तरह के बढ़ते अपराधों की वजह से इसे पहचान मिल रही है।

नाम एक तरीके अनेक

डिजिटल अरेस्ट कई तरीकों से किया जाता है। इसमें सबसे अहम बात यही होती है कि जाल में फंसे हुए व्यक्ति को धमकी या लालच देकर घंटों या कई दिनों तक कैमरे के सामने बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वह घबराहट में अपनी कई निजी जानकारी दे देता है। घबराहट में दी गयी जानकारी का इस्तेमाल कर खाते से पैसा निकालने के साथ पीड़ित का एजेंसियों की जाल से बचने या कहे छुटकारा पाने के लिए मजबूरी में खुद ही अपनी सारी जमा पूँजी ठगों के दिए खाते में जमा करना शामिल होता है।

कैसे होती है ठगी की शुरुआत ?

पूरे स्कैम की शुरुआत एक सरल मैसेज, ईमेल, या व्हाट्सऐप संदेश से होती है। दावा किया

डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया में तरह-तरह के प्रश्न कर पीड़ित को बेचैन कर तनाव में लाया जाता है जिसके बाद तमाम जानकारी हासिल करने के बाद उससे मामला शांत कराने के लिए बातचीत की जाती है। इसमें उससे बड़ी रकम देने को कहा जाता है। ये पैसे ऐसे अकाउंट में डलवाए जाते हैं जिनका अपराधियों की पहचान से कोई लेना देना नहीं होता है और पैसा भी वहां से तुरंत निकाल कर ये लोग गायब हो जाते हैं।

जाता है कि पीड़ित व्यक्ति किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। इसके बाद उसे वीडियो या फोन कॉल करके कुछ खास प्रक्रिया से गुजरने के लिए दबाव डाला जाता है और पुष्टि के लिए कई तरह की जानकरियां भी मांगी जाती हैं। ऐसे कॉल करने वाले खुद को पुलिस, नॉरकोटिक्स, साइबर सेल पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स या सीबीआई अधिकारियों की तरह पेश करते हैं। वे बाकायदा किसी दफ्तर नुमा जगह से संबंधित पुलिस यूनिफॉर्म में फोन करते हैं। जाल में फंसता देख पीड़ित पर गलत आरोप लगा कर उसे तनाव में लाते हुए गिरोह के शातिर सदस्य उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देकर जोर देता है कि पूछताछ होने के दौरान उसे वीडियो कॉल पर ही रहना होगा और वह किसी और से बातचीत नहीं कर सकता है, जब तक कि उसके दस्तावेज आदि की पुष्टि नहीं होती है।

तनाव में डाल कर बचाने का पैंतरा

डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया में तरह-तरह के प्रश्न कर पीड़ित को बेचैन कर तनाव में लाया जाता है जिसके बाद तमाम जानकारी हासिल करने के बाद उससे मामला शांत कराने के लिए बातचीत की जाती है। इसमें उससे बड़ी रकम देने को कहा जाता है। ये पैसे ऐसे अकाउंट में डलवाए जाते हैं जिनका अपराधियों की पहचान से कोई लेना देना नहीं होता है और पैसा भी

कानून के मुताबिक़ तुरंत क्या करें

साइबर अपराध होने यानी बैंक से पैसा निकलने के बाद अगर एक घंटे के भीतर 1930 पर शिकायत कर दी जाए तो पैसे ब्लॉक होने की गुंजाइश रहती है क्योंकि ठग लेयरिंग (अनेक खातों में पैसा ट्रांसफर का काम) नहीं कर पाता। सही समय पर की गई शिकायत से पहले या दूसरे बैंक के स्तर पर ही पैसा रोका जा सकता है। वैसे, हर किसी के लिए एकमात्र मंत्र यह है कि जिससे कभी मिले नहीं, जिसे देखा नहीं, उसके खाते में पैसा नहीं देना चाहिए। हालांकि, बैंकिंग सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस और एजेंसियां डिजिटल अरेस्ट से बचने के अनेक दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं। लोगों की डिजिटल साक्षरता बढ़ी पर जागरूकता नहीं और इससे बचने का एकमात्र तरीका जागरूकता ही है।

ठगी के प्रारंभिक तरीके क्या हैं ?

साइबर क्राइम मोटे तौर पर एक संगठित अपराध है। इसके अमूमन चार हिस्से होते हैं। पहला मॉड्यूल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम का इंतजाम करता है। दूसरा मॉड्यूल बैंक अकाउंट खुलवाने का काम करता है। वह गरीबों को लालच देकर उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर उससे जुड़े मोबाइल नंबर बदलवा देता है। बदला हुआ नंबर साइबर ठगों का होता है। ऐसे हजारों जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खुले हुए हैं जिनमें लाखों रुपए डाले और निकाले जाते हैं। एक बचत खाता खुलवाने पर 15 हजार रुपए और करेंट अकाउंट खुलवाने पर एक लाख रुपए तक खर्च आता है, जिसका इस्तेमाल ठग करते हैं। दस्तावेज और अन्य जानकारी मिल जाने के बाद तीसरा मॉड्यूल शिकार से संपर्क करता है और जांच एजेंसी का अफसर बनकर उगाही में जुटता है। इन तीनों मॉड्यूल के लोगों के ऊपर एक बॉस होता है जो तीनों को रिक्रूट करता है। यह आदमी विदेश में बैठा होता है।

शिकार व्यक्ति को ही जुर्म से बचाने के नाम पर ठगी

फोन आएगा

फोन पर कहा जाएगा कि आपके नाम का कूरियर है जिसमें ड्रग्स हैं या आपके खाते या फोन नंबर से कोई और अवैध काम हो रहा है। बहाने बदल सकते हैं। फिर कथित सीनियर अफसर से बात कराई जाएगी।

मनी ट्रांसफर

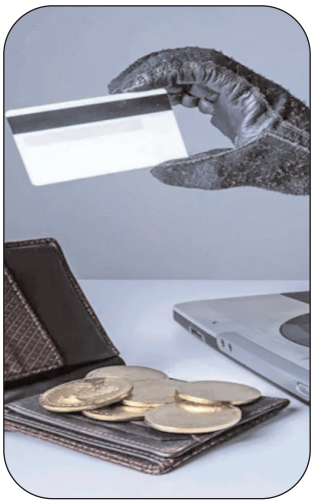

आपके खातों के वेरिफिकेशन की बात कही जाएगी। ले-देकर मामला खत्म करने के नाम पर ठग आपसे विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर कराएंगे। क्लियरेंस की बात कहकर फोन काटेंगे और फिर वह फोन बंद हो जाएगा।

फिर वीडियो कॉल

ठग आइपीएस अफसर, जज आदि बनकर वीडियो कॉल करेंगे. स्क्रीन पर सीबीआइ, थाने, कोर्ट जैसा डेकोरेशन होगा। आधार, पैन नंबर बताकर केस होने का यकीन दिलाएंगे। वारंट, नोटिस, ऑर्डर आदि दिखाएंगे।

डिजिटल अरेस्ट

कहेंगे कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं। किसी से बात नहीं करेंगे, वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, केस चलेगा। छह साल तक की सजा होगी।

सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल अरेस्ट मामले की जांच सीबीआई को देने का संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2025 को देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर लगाम कसने के लिए कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट के इन मामलों पर नजर रखेगा और इन्हें केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने पर विचार कर सकता है। जस्टिस सूर्याकांत और ज्योमलया बागची की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर क्राइम मामलों की एफआईआर की पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपनी होगी। कोर्ट का मकसद है कि पूरे देश में इन जांचों को एक समान बनाया जाए, ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और पीड़ितों के साथ न्याय हो।

कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक नया साइबर क्राइम है, जिसमें ठग पुलिस या सरकारी अधिकारियों का भेष धारण कर वीडियो काल के जरिए लोगों को धमकाते हैं। वे पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है और पैसे मांगते हैं। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि देशव्यापी जांच जरूरी हो सकती है। बेंच ने संकेत दिया कि सीबीआई को ये सभी मामले सौंपे जा सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यों को सुनवाई का मौका मिलेगा, उसके बाद ही कोई अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई पहले से ही कुछ मामलों की जांच कर रही है, जिसमें गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम डिवीजन की मदद ली जा रही है। बेंच ने मेहता से पूछा कि क्या सीबीआई के पास पूरे देश के सभी मामलों को संभालने की क्षमता और संसाधन हैं? जजों ने अतीत के बड़े वित्तीय घोटालों, जैसे पोंजी स्कीम्स का जिक्र किया, जहां मामलों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि सीबीआई पर बोझ पड़ गया था।

- **सरकारी एजेंसी कभी इस तरह कब्जे में लेकर ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती**
- **देश में अभी तक इस तरह से गिरफ्तारी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है**

वहां से तुरंत निकाल कर ये लोग गायब हो जाते हैं। गलत तरीके से सिम कार्ड लिया जाता है, गलत तरीके से बैंक खाता खोला जाता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य डेटा को गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किया जाता है। उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कराये जाते हैं। कई बार क्रिप्टो या गेमिंग एप के माध्यम से हवाला के जरिए पैसे को बाहर भेजा जाता है।

कानून से उपर है जालसाजों के फर्जी कानून

यह डिजिटल अरेस्ट इंटरनेट के जरिए ब्लैक मेल से कहीं ज्यादा और खतरनाक है क्योंकि इसमें पैसे के साथ साथ संवेदनशील जानकारियां भी हासिल कर ली जाती हैं। इसमें बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड आदि शामिल हैं। इस मामले में जो सब अहम् बात है, वह यह कि हमारे देश में अभी तक इस तरह से किसी भी प्रकार की पूछताछ, जांच, गिरफ्तारी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। सरकारी एजेंसी कभी इस तरह कब्जे में लेकर ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती है।

क्या ध्यान रखना है ?

लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वह दो तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, आप स्थानीय पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को एक घंटे के भीतर सूचना देते हैं तो ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस पाने की संभावना रहती है।

आपको क्या करना है ?

- जिस वॉलेट में, खाते में पैसा दिया है उसकी जानकारी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठग का फोन नंबर नोट कर लें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, कोई लिंक क्लिक न करें
- https://cybercrime.gov.in/- पर जाकर तत्काल ऑनलाइन शिकायत करें।
- 1930 डायल कर सूचना दें, यहां पर ठगी गई रकम बैंक अकाउंट में फ्रीज कराई जा सकती है।
- 1930 न लगे तो स्थानीय पुलिस को 112 पर फोन करें।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादक हैं

सत्यम

जो डर गया वो फंस गया...

डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण

डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए पुलिस और साइबर अपराधों से निपटने वाली संस्थाओं ने विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया है। इन प्रकोष्ठों में ऐसे अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
भारत सरकार ने ऐसे अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल की कॉलर ट्यून के रूप में लोगों को सचेत करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी निजी तौर पर ऐसे अपराधों के बारे में लोगों को सावधान रहने को कहा है।

डिजिटल ठगी पर क्या कहते हैं कानून के जानकार ?

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक़ इसमें ठगी करने के 4- 5 तरीके होते हैं। जैसे, किसी कूरियर का नाम लेकर कि इसमें गलत सामान आया है। कुरियर में ड्रग्स है, जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, कस्टम चोरी, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है, जो पढ़े-लिखे और कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है।

अगर उनके खातों में पैसे नहीं हैं तो उनको बैंक से तत्काल कर्ज दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास कर्ज लेने वाले एप्स नहीं होते हैं तो उन एप्स को भी डाउनलोड कराया जाता है। कई बार दो से तीन, चार और कई दिनो तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है।

नोएडा साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त विवेक रंजन के मुताबिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे वाले हैं या नहीं। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग पैसे न होने पर पीड़ित को लोन लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं, यह नया ट्रेंड है।

डिजिटल अरेस्ट का अपराध करने से पहले ठग अपने शिकार के आधार नंबर, पैन कार्ड बैंक खाते जैसे ब्योरे मालूम करने का अपराध कर चुके होते हैं, जिसका डेटा मिल जाता है उसे ही शिकार बनाते हैं।

- **इंसान की कमजोरियों पर स्कैमर्स की निगाह**
- **समझदारी और जागरूकता ही बचाव का रास्ता**
- **आ ही गए चपेटे में तो तुरंत करें शिकायत**

साइबर विशेषज्ञों की राय

साइबर क्राइम विशेषज्ञ वकील पवन दुग्गल कहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों को खत्म करना चाहते हैं तो बैंकिंग सिस्टम में सख्ती की जरूरत है। छह जुलाई, 2017 को जारी रिजर्व बैंक की जीरो लाइबेलिटी वाली अधिसूचना का दायरा बढ़ाना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ट्रांसफर किए गए पैसों को उसके दायरे में लाया जाए तो काफी हद तक ये मामले कम हो जाएंगे। जब बैंक को पता लगेगा कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे तो बैंक मुस्तैदी से काम करेगा। जीरो अकाउंट में लाखों रुपए आते और चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि, पीड़ितों को ठगी के पैसे वापस मिल रहे हैं लेकिन उसकी दर कम है।
दुग्गल के मुताबिक़, साइबर क्राइम में सजा की दर एक फीसद से भी कम है। इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा। आईटी एक्ट के ज्यादातर अपराध जमानती हैं। वर्तमान कानून डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों को पूरी तरह कवर करने में असमर्थ हैं। आपको हाउस

अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों को भारत के लोग कॉल सेंटर बनाकर ठग रहे हैं जिसका भंडाफोड़ पिछले दिनों नोएडा पुलिस ने किया था. दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी मुक्तेश चंदर बताते हैं कि, शुरुआती दौर के जेल हो आए साइबर अपराधियों की खेप अब साइबर अपराध के कोचिंग सेंटर खोलकर बैठ गई है। ये इनके छोटे गिरोह जैसे है। ये कोचिंग सेंटर जामताड़ा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के नजफगढ़, हरियाणा के मेवात से लेकर राजस्थान अलवर-भरतपुर में हैं। दूसरी तरफ, नॉर्थ ईस्ट के स्कैमर्स ने अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काफी बड़ा गैंग बना लिया है। कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में गिरोह सक्रिय है।

अरेस्ट कराया जाता है, डराकर पैसे वसूले जाते हैं, इसलिए कानून का दायरा बढ़ना चाहिए। जल्द निबटारे के लिए देश में विशेष साइबर अदालतें बनाई जाएं।

अगर आज कोई साइबर क्राइम हुआ और उसका मुकदमा 20 साल चलेगा तो यह बदतर स्थिति होगी।

लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर

साइबर क्राइम विशेषज्ञ और पूर्व आईपीएस और फिलहाल एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) में स्पेशल मॉनिटर (साइबर क्राइम एंड एआई) मुक्तेश चंदर कहते हैं कि, ये कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं होते।

ये तो बस लोगों के डर और आसानी से भरोसा करने की आदत का फायदा उठाते हैं। साइबर ठग वीडियो और बातचीत से ऐसा मनोवैज्ञानिक असर पैदा कर देते हैं कि लोगों को उनकी बातें सच लगने लगती हैं।

सवाल उठता है कि ठगों के पास लोगों का डेटा कहां से आता है?

चंदर बताते हैं कि सबसे बड़ी खामी है कि मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट दोनों को कहीं से भी खरीदा जा सकता है। केवाइसी के आधार पर इनको ढूंढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे नकली पते और दस्तावेजों पर आधारित हैं। दोनों के अज्ञात होने की वजह से पैसे बहुत तेजी से इधर-उधर चले जाते हैं। अपराधियों में डर नहीं है। पीड़ित कहीं है, बैंक अकाउंट कहीं और है, मोबाइल किसी और का, उसकी फिजिकल लोकेशन कहीं और की है। ऐसे में जांच अधिकारी एक ही केस में भटकता रहेगा। वह कितने दिनों तक एक केस में लगा रहेगा। होता यह है कि बहुत सारे केस दर्ज ही नहीं होते। बड़ी रकम वाले मामलों की ही जांच होती है।

अपराध में एआई का भी इस्तेमाल

एथिकल हैकर गौतम कुमावत कहते हैं कि, डिजिटल अरेस्ट शब्द साइबर अपराधियों की तरफ से आया है. वे डिजिटल अरेस्ट कहकर अपने शिकार को धमकाते हैं। वे कई बार एआई-जनित आवाज या वीडियो का उपयोग करके पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कानून में ऐसी किसी गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। पुलिस कार्रवाई से पता चलता है कि संगठित गिरोह के अलावा फुटकर बदमाश भी डिजिटल अरेस्ट के अपराध में लिप्त हैं। आमतौर पर लोग अज्ञानता, डर और भरोसा करने की आदत की वजह से डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लोगों के डर और अज्ञानता के कारण हो रही हैं। यानी कोई फोन पर कह रहा है कि पुलिस, ईडी, सीबीआई से आपका वारंट जारी हो गया है, तो उसकी बात मान लेना। आपको जानकारी नहीं है कि वारंट को पुलिस आपके पते पर पहुंचाती है न कि फोन करती है।

भारत से विदेश में भी साइबर ठगी

ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय ठगे जा रहे हैं। पुलिस मानती है कि 50 प्रतिशत स्कैम विदेश से हो रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों को भारत के लोग कॉल सेंटर बनाकर ठग रहे हैं जिसका भंडाफोड़ पिछले दिनों नोएडा पुलिस ने किया था. दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी मुक्तेश चंदर बताते हैं कि, शुरुआती दौर के जेल हो आए साइबर अपराधियों की खेप अब साइबर अपराध के कोचिंग सेंटर खोलकर बैठ गई है। ये इनके छोटे गिरोह जैसे है। ये कोचिंग सेंटर जामताड़ा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के नजफगढ़, हरियाणा के मेवात से लेकर राजस्थान अलवर-भरतपुर में हैं। दूसरी तरफ, नॉर्थ ईस्ट के स्कैमर्स ने अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काफी बड़ा गैंग बना लिया है। कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में गिरोह सक्रिय है। इसी क्रम में जुलाई के आखिर में गृह मंत्रालय की तरफ से जांच के लिए 248 ऐसे लोगों की सूची नोएडा पुलिस को दी गई थी जो पिछले एक साल के दौरान

डिजिटल अरेस्ट करने के 4- 5 तरीके होते हैं। जैसे, किसी कूरियर का नाम लेकर कि इसमें गलत सामान आया है। कुरियर में ड्रग्स है, जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, कस्टम चोरी, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है, जो पढ़े-लिखे और कानून के जानकार होते हैं

गौतम बुद्ध नगर से कंबोडिया, थाइलैंड, म्यांमार और वियतनाम गए। आशंका है कि इन लोगों को नौकरी के नाम पर ले जाया गया और उनसे वहां से डिजिटल अरेस्ट की घटना और ऑनलाइन ठगी कराई जा रही है। जुलाई के आखिर में कंबोडिया से ऐसे ही 14 भारतीय युवक मुक्त कराए गए थे।

कब से शुरू हुए डिजिटल अरेस्ट के मामले ?

देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले 2023 से आने शुरू हुए। जुलाई तक तीन महीने में अकेले दिल्ली एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट की 600 से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनमें से प्रत्येक में ठगी की रकम 20 लाख रुपए से ऊपर है। गृह मंत्रालय ने मई में साइबर क्राइम की नोडल एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) के जरिए 1,000 से ज्यादा स्काइप आईडी को ब्लॉक कराया। साथ ही लंबी स्काइप कॉल्स पर भी निगरानी बढ़ाई गई। इनसे 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है।

इसके अलावा कई सारे अनरिपोर्टेड मामले होते हैं। कई ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह का अभी तक जड़ से खुलासा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 31 लाख साइबर अपराध की शिकायतें अगस्त 2019 से दिसंबर, 2023 तक साइबर क्राइम पोर्टल पर आई जिनमें से 66 हजार में केस दर्ज हुआ। 129 शिकायतें प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर आईं। नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर वर्ष 2023 के दौरान, दिल्ली में सबसे ज्यादा 755 और चंडीगढ़ में 432 रहा।

हाल-फिलहाल के मामले

- नोएडा में 79 वर्षीय सेवानिवृत्त मेजर जनरल को 10 से 15 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने एक झटके में आरटीजीएस से 2 करोड़ रुपए. ट्रांसफर करा लिए.। इनके कूरियर में ड्रग्स होने का डर दिखाया गया था।
- 24 जून, 2025 को भोपाल में 66 साल के एक रिटायर्ड लेक्चरर से पार्सल में अवैध सामग्री के नाम पर सात दिनों में 1.30 करोड़ रुपए ठग लिए गए।
- 31जुलाई, 2024- देहरादून में महिला को 30 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 10.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाए। कूरियर में आपत्तिजनक सामान होने का डर दिखाया और केस से बचाने के लिए पैसे ऐंठ लिए गए।
- 22 जुलाई, 2024 को नोएडा की महिला डॉक्टर से टीआरएआइ या ट्राइ (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी) का अफसर बन 59 लाख रुपए ऐंठ लिए गए।. दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उन्हें डराया गया कि उनके मोबाइल से पोर्न वीडियो सर्कुलेट हुआ है।
- 5 मई, 2024- बेंगलुरू के 73 साल के शख्स को 5 से 10 मई तक यह कहकर घर पर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 3.8 करोड़ रुपए ऐंठे कि उनके पार्सल में ड्रग्स था।
- 7 मई, 2024 को, हैदराबाद के युवक को उसके नाम वाले पार्सल में ड्रग्स का डर दिखा कर 20 दिनों तक घर पर अरेस्ट रखा गया और उनसे 1.20 करोड़ रुपए ठग लिए गए।

–लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं

नजर की फिक्र करें, देखें, बच्चे हरदम मोबाइल में न घुसे रहें

- दुनिया में 220 करोड़ लोग आंखों की समस्या से पीड़ित
- भारत में 24 लाख पूरी तरह से दृष्टिहीन

प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस (वर्ल्ड साइट डे) मनाया जाता है। इस साल यह नौ अक्टूबर 2025 को मनाया गया। इसका उद्देश्य है लोगों को आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक करना और यह समझाना कि आंखों की रोशनी केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही पर भी निर्भर करती है। आज के समय में जब हम अपने करियर, परिवार, और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, तो हमें अपनी आंखों के स्वास्थ्य को भी उसी तरह प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 2.2 अरब लोग आंखों की रोशनी की समस्या से जूझ रहे हैं।

गौरतलब है कि, इनमें से एक अरब लोगों को अगर समय पर इलाज मिल जाता तो उन्हें इस स्वास्थ्य परेशानी से बचाया जा सकता था। यह आंकड़े बताते हैं कि समय पर जांच और सही आदतें अपनाकर हम आंखों की कई बीमारियों से बच सकते हैं।

डिजिटल युग में आंखों पर दबाव

आजकल हम दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। औसतन एक वयस्क व्यक्ति 10 घंटे या उससे भी ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताता है। इसका असर सीधा हमारी आंखों पर पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार, हर एक घंटे की अतिरिक्त स्क्रीन समय से 21 फीसदी ज्यादा मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) का खतरा बढ़ जाता है।

डब्ल्यूएचओ के एक अध्ययन में पाया गया कि 94.7 फीसदी मेडिकल छात्र कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जिसमें आंखों में जलन, सिरदर्द, और धुंधला दिखना शामिल है।

भारत में बहुत खराब स्थिति

भारत में दृष्टि हानि की समस्या काफी गंभीर है जहां लगभग 2.1 करोड़ लोग दृष्टिबाधित हैं। 2024 के आंकड़े अनुसार, इनमें से 24 लाख लोग पूरी तरह से नेत्रहीन हैं। इसके पीछे के कारणों में मोतियाबिंद – अंधत्व का सबसे प्रमुख कारण है। कुछ अपवर्तनीय दोष होते हैं तो कुछ चश्मे से सुधरने योग्य होते है लेकिन अक्सर अनदेखा किए जाते हैं। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वृद्ध पुरुष सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

अन्य समस्याओं में उम्र बढ़ने के साथ आंखों की बीमारियां, कुपोषण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी शामिल हैं।

बच्चों और युवाओं की स्थिति काफी खराब

वर्तमान में बच्चों और युवा पीढ़ी में कमजोर नजर एक नई महामारी बनकर उभर रही है। निकट दृष्टि दोष के मामले ज्यादा देखने में आ रहे हैं। इस बात का अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या इससे ग्रस्त हो जाएगी। हालांकि ऐसा ज्यादातर आनुवंशिक कारणों से होता है, लेकिन

बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का खतरा बढ़ सकता है।

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि टैबलेट या स्मार्ट फोन जैसी डिजिटल स्क्रीन पर हर दिन एक घंटे से चार घंटे तक का समय बिताने से निकट दृष्टिदोष का खतरा 21 प्रतिशत बढ़ सकता है। एक नए शोध में 45 जांच-पड़ताल के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर युवा वयस्कों तक के 3,35,000 से अधिक मामलों का अध्ययन किया गया।

अध्ययन में सिग्मोइडल खुराक-प्रतिक्रिया पैटर्न पाया गया, जो स्क्रीन को देखने के हर दिन एक घंटे से कम की संभावित सुरक्षा सीमा का सुझाव देता है। स्क्रीन देखने के समय के एक से चार घंटे के बीच निकट दृष्टि दोष का खतरा काफी बढ़ जाता है। शोध पत्र के हवाले से शोधकर्ताओं का कहना है कि ये निष्कर्ष निकट दृष्टि दोष के खतरों के बारे में चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को अहम जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

शोध में कहा गया है कि स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से ध्यान अवधि कम होने के कारण दिमाग में दूसरे जरूरी काम लेने पर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन के इस्तेमाल में अक्सर बिस्तर या सोफे पर असहज मुद्रा में बैठना शामिल होता है। स्क्रीन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मोटापा, शरीर में दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्या और पीठ दर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह शोध डिजिटल युग में निकट दृष्टि दोष की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और शोधकर्ताओं के लिए अहम जानकारी प्रदान करता है। निष्कर्ष में विशेष रूप से युवा लोगों के बीच स्क्रीन समय पर नज़र रखने और उसे सीमित करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

आंखों की नजर दुरुस्त रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

- साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच जरूर करवानी चाहिए। 20-20-20 नियम अपनाएं, हर 20 मिनट पर, 20 फीट दूर देखें, कम से कम 20 सेकंड तक।
- स्क्रीन टाइम कम करें और नीली रोशनी से बचाव के लिए स्क्रीन फिल्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- धूप में निकलते समय यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहनना चाहिए। अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्गों को भी आंखों की देखभाल के लिए प्रेरित करें।
- दिन कम से कम दो घंटे बाहर बिताकर आंखों की थकान को कम कर सकते हैं और निकट दृष्टि दोष को बढ़ने से रोका जा सकता है।
- स्क्रीन सेटिंग में बदलाव करने से तनाव को कम किया जा सकता है, नीली रोशनी वाले फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है, फ़ॉन्ट को बड़ा किया जा सकता है और स्क्रीन को अधिकतम चमक स्तर पर रखा जाना चाहिए।
- सुरक्षित दूरी बनाए जाने, कम रोशनी में डिवाइस का उपयोग करने से बचें और स्क्रीन को कम से कम एक हाथ की दूरी पर रखा जाना चाहिए।

विश्व दृष्टि दिवस के इतिहास की बात करें तो पहली बार यह दृष्टि 2020 पहल के तहत 12 अक्टूबर 2000 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य रोकथाम योग्य अंधत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब यह हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है।

विश्व दृष्टि दिवस की थीम

- विश्व दृष्टि दिवस 2025 की थीम अपनी आंखों से प्यार कीजिए है। इस थीम के अंतर्गत तीन मुख्य कार्यों पर जोर दिया गया है :
- **जांच कराएं:** हर साल आंखों की नियमित जांच करवाएं।
- **सुरक्षा करें:** स्क्रीन का प्रयोग सीमित करें, उचित रोशनी में काम करें और यूवी सुरक्षा वाले चश्मे पहनें।
- **सहयोग मांगें:** हर वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण और समान आंखों की देखभाल की मांग करें।
- यह सिर्फ एक दिन का संदेश नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए।
- दुनिया में 2.2 अरब लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, जिनमें से एक अरब मामलों में समय रहते इलाज संभव था।
- डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग (हर दिन 10 से अधिक घंटे) आंखों पर गंभीर असर डाल रहा है, जैसे मायोपिया, आंखों में जलन, नींद की समस्या।
- हर अतिरिक्त घंटे की स्क्रीनिंग से मायोपिया का खतरा 21 फीसदी तक बढ़ता है, खासकर बच्चों और युवाओं में।
- भारत में 2.1 करोड़ दृष्टिबाधित और 24 लाख नेत्रहीन लोग हैं, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और समय पर इलाज न मिलने से पीड़ित हैं।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

सूर्य देव से मन की ऊर्जा के साथ घर के लिए भी ऊर्जा मांगें

- सिर्फ 2 रुपया यूनिट पड़ेगी सौर ऊर्जा
- सरकार दे रही है कई तरह की सब्सिडी
- भारत प्राकृतिक लिहाज से हमेशा से एक सक्षम देश रहा

उपभोक्ता पाठशाला के इस अंक के पाठ में हम ग्रामीण उपभोक्ता के पाठकों और विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सौर ऊर्जा के बारे में बताएंगे। इन इलाकों में बिजली की पहुंच, उसकी उपलब्धता और उस पर आने वाला खर्च हमेशा से एक चुनौती भरा सवाल रहा है।

भारत प्राकृतिक लिहाज से हमेशा से एक सक्षम देश रहा है। यहां हर तरह के मौसम होते हैं और सूर्य़ की भरपूर रोशनी उपलब्ध रहती है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विशेष स्थान है। आज हम आपको सौर ऊर्जा और उसकी उपयोगिता के साथ उसे लेकर आपकी जेब पर किस तरह का असर पड़ेगा इस बारे में बताएंगे।

एनर्जी एंड एनवायरमेंट मटीरियल्स नामक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार दुनिया में सौर ऊर्जा अब बिजली का सबसे सस्ता स्रोत बन गई है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सरे द्वारा किए इस नए अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है कि जिन देशों में अच्छी धूप खिलती है, वहां एक यूनिट बिजली पैदा करने की लागत घटकर महज दो रुपए (करीब 0.02 पाउंड) रह गई है।

देखा जाए तो सौर ऊर्जा उत्पादन की यह लागत बिजली के अन्य स्रोतों जैसे कोयला, गैस या पवन ऊर्जा से भी सस्ती है। युनिर्सिटी ऑफ सरे के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (एटीआई) के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) तकनीक दुनिया को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ते कदमों की मुख्य ताकत बन गई है।

अध्ययन से जुड़े निष्कर्षों के बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि, अब सौर ऊर्जा इतनी सस्ती हो गई है कि ब्रिटेन जैसे देश में भी, जो भूमध्य रेखा से 50 डिग्री उत्तर में स्थित है, यह बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का सबसे किफायती तरीका बन चुकी है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि, 2024 तक दुनिया में 1.5 टेरावॉट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जो 2020 की तुलना में दोगुनी है और करोड़ों घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। विज्ञप्ति में कहा गया कि, अब सौर तकनीक दूर की कौड़ी नहीं रही, बल्कि यह कम-कार्बन और ऊर्जा के सतत भविष्य की मजबूत नींव बन चुकी है।

सस्ती बैटरियां और सौर ऊर्जा

अध्ययन में यह भी सामने आया है कि लिथियम-आयन बैटरियों की कीमत 2010 से अब तक 89 फीसदी गिर चुकी है। इसके चलते सौर ऊर्जा को बैटरियों में स्टोर कर जब चाहें इस्तेमाल करना संभव हो गया है।

इससे सौर ऊर्जा और बैटरी वाले सिस्टम (सोलर-प्लस-स्टोरेज) की लागत अब गैस पावर प्लांट्स जितनी सस्ती हो गई है। ऐसे हाइब्रिड सिस्टम जिनमें सोलर पैनल और बैटरी दोनों शामिल होते हैं, अब कई देशों में आम हो गए हैं।

ये दिन में बनी सौर ऊर्जा को स्टोर कर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं, जिससे यह और अधिक भरोसेमंद हो जाते हैं। इससे बिजली की उपलब्धता लगातार बनी रहती है।

लेकिन, चुनौतियां अब भी हैं बरकरार

हालांकि, अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कुछ चुनौतियों की ओर भी इशारा किया है खासकर मौजूदा बिजली नेटवर्क से बढ़ती सौर ऊर्जा को

जोड़ना अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कैलीफोर्निया और चीन जैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के भारी उत्पादन के कारण बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है और जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है, तो ऊर्जा बर्बाद हो जाती है।

इसी अध्ययन मे यह भी कहा गया है कि, अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बढ़ती सौर ऊर्जा को बिजली नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए स्मार्ट ग्रिड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्वानुमान और क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्शन जरूरी होंगे।

ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड तकनीक के एकीकरण के साथ सौर ऊर्जा भरोसेमंद, सस्ती और बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम हो सकती है। पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स जैसी नई सामग्री से बिजली उत्पादन को भी 50 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति लंबे समय तक नीतिगत समर्थन पर निर्भर करेगी। अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, यूरोप का आरईपावरईयू प्लान और भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) इस दिशा में उठाया सार्थक कदम हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि, स्पष्ट नीतियां, सतत निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही दुनिया को स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा प्रणाली की ओर तेजी से ले जा सकते हैं।

आपका पाठ

हम आपको बताना चाहते हैं कि, भारत सरकार ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाते साल 2030 तक मौजूदा हरित ऊर्जा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लेने का अनुमान लगाया है।

सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं। गावों में किसानों के लिए सूर्यकिरण योजना है जिस पर सरकार किसानों को भारी सब्सिडी देती है। घरेलू इस्तेमाल के लिए भी सरकार ने सौर पैनलों को लगाने पर भारी सब्सिडी दी हुई है।

समझदारी इसी में है कि सरकार से मिलने वाली इस सहूलियत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। साथ ही इसी उपक्रम में पर्यावरण की बेहतरी के लिए भी काम हो जाए तो क्या बुरा है? अंत में इन सबका फायदा तो इंसान को ही मिलना है यानी अच्छे पर्यावरण के साथ जेब पर कम भार।

- भारत में सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है।
- घरेलू इस्तेमाल और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की उपलब्धता पर भारी सब्सिडी दी जा रही है।
- सौर ऊर्जा अब बिजली का सबसे सस्ता स्रोत बन गई है। जिन देशों में अच्छी धूप होती है, वहां बिजली उत्पादन की लागत घटकर मात्र दो रुपए प्रति यूनिट रह गई है।
- सौर ऊर्जा, कोयला, गैस और पवन ऊर्जा से भी सस्ती है। सौर ऊर्जा की यह प्रगति स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- 2024 तक दुनिया में 1.5 टेरावॉट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जो 2020 की तुलना में दोगुनी है और करोड़ों घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है।
- लिथियम-आयन बैटरियों की कीमत 2010 से अब तक 89 फीसदी गिर चुकी है। इसके चलते सौर ऊर्जा को बैटरियों में स्टोर कर जब चाहें इस्तेमाल करना संभव हो गया है।

fssai

Eat Right India
Healthy. Safe. Fortified.
Led by FSSAI under the Ministry of Health and Family Welfare

Combat Food Adulteration

DART Book:
check food adulterants
at home

Food Safety on Wheels:
Mobile food-testing lab

100+ tests of
food adulterants for
schoolchildren

275+
notified labs for
all tests

www.fssai.gov.in

आशीष मिश्र

मेरे जीवन में दो प्रवृत्तियां : अध्ययन और राजनीति- दोनों में संघर्ष...

हमारे देश में राजनेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। कुछ को लोग जान पाते हैं, वे चर्चा में रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्हें लोगों ने कम जाना, कम समझा। उन लोगों का योगदान भी दूसरे शीर्ष नेताओं से कम नहीं था बस, उनकी चर्चा कम हुई। ऐसे कर्मयोगियों में आचार्य नरेंद्र देव भी थे। सहज, सरल, विद्वता के शिखर और राजनीति के शिखर पुरुष। 31 अक्टूबर को आचार्य जी की जयंती थी। उनके बारे में एक संस्मरण 'समाजवाद के प्रहरी' किताब में प्रकाशित हुआ है जिसके लेखक कैलाश चंद्र मिश्र हैं। यह आलेख उसी विस्तृत संस्मरण का अंश है।

आचार्य नरेंद्र देव बुद्धजीवियों की उस पीढ़ी से थे जो 'आचार्य जी" के नाम से जाने जाते थे। अगर आचारवान होना आचार्यत्व की पहली शर्त है तो वे आचार्यत्व की परिभाषा थे। आचार्य नरेंद्र देव का पैतृक घर तो फैजाबाद में था किंतु उनके पिता श्री बलदेव प्रसाद जी सीतापुर में वकालत करते थे। वहीं संवत 1948 में कार्तिक शुक्ल अष्टमी अर्थात 31 अक्टूबर 1889 में उनका जन्म हुआ।

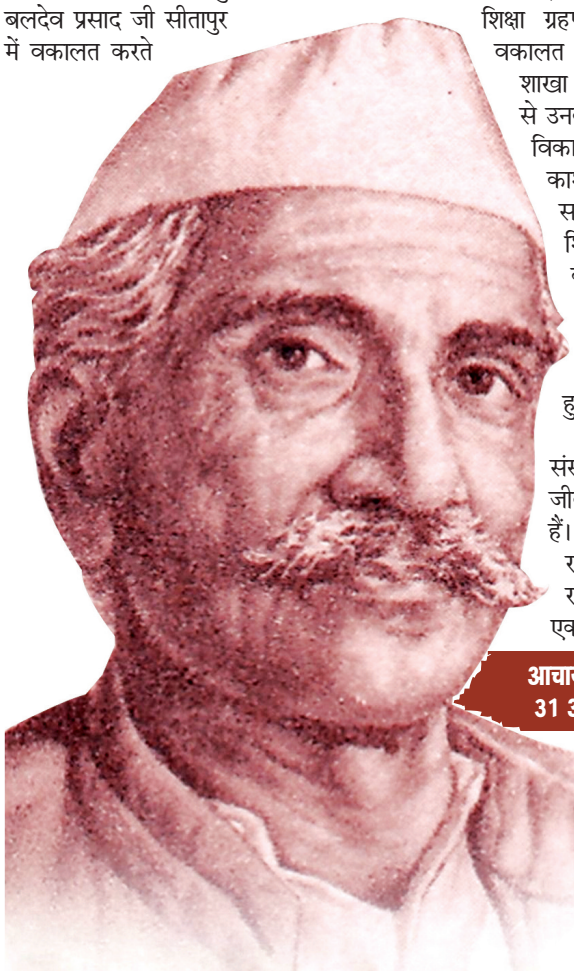

शिक्षा से राजनीति का रास्ता

फैजाबाद, वाराणसी और इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण करते हुए फैजाबाद में वकालत के समय 'होमरूल लीग" शाखा का गठन करना निश्चित रूप से उनकी जीवन यात्रा में समाज के विकास की धारा का प्रतिपादक है। काशी विद्यापीठ की स्थापना के समय ख्यातिप्राप्त राष्ट्रभक्त श्री शिवप्रसाद गुप्त ने नरेंद्र देव जी को विद्यापीठ के संचालन के लिए बुलाया। 1921 में वे काशी विद्यापीठ वाराणसी में कुलपति के पद पर आसीन हुए।

आचार्य जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि- "मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तियां रही हैं। एक पढ़ने-लिखने की दूसरी राजनीति की। दोनों में संघर्ष रहता है। यदि दोनों की सुविधा एक साथ मिल जाए तो मुझे परितोष होता। यह सुविधा मुझे काशी विद्यापीठ में मिली।' विद्यापीठ उस समय विद्वानों का संगम स्थल था। उस समय वहां डॉ. भगवान दास, डॉ. संपूर्णानंद, श्री वेद प्रकाश वेद शिरोणमि, पं.रुद्र देव और पं.गांगेय नरोत्तम शास्त्री आदि उच्च कोटि के विद्वान कार्यरत थे। इन विद्वानों के साथ आचार्य जी ने 1921 से काशी विद्यापीठ में अध्यापन का कार्य आरंभ किया।

आचार्य नरेंद्र देव की जयंती 31 अक्टूबर पर विशेष...

वे किसानों के बड़े हितचिंतक थे। अवध के चार प्रमुख जिलों रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद और सुल्तानपुर में किसान आंदोलन व्यापक रूप से फैल चुका था। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन में भाग लिया.। किसानों की मुख्य मांगे थीं कि बेदखली रोकी जाए, बेगार पर रोक लगाई जाए। उनकी किसानों की सभाओं में लाखों की भीड़ होती थी। हिंदू और मुसलमान, स्त्री और पुरुष सभी इसमें सम्मिलित होते थे। 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज में गोली चली जिसके कारण आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। आचार्य नरेंद्र देव ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कई प्रभावशाली भाषण दिए। इन भाषणों की चर्चा सारे अवध में फैल गई और आचार्य जी एक ओजस्वी वक्ता समझे जाने लगे। तपती धूप में हजारों की संख्या में किसान उनकी घंटों प्रतीक्षा करते। वहीं से इनके सक्रिय राजनैतिक जीवन का श्रीगणेश हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण वह 1930 में पहली बार जेल गए और सन 1942 तक उनकी जेल यात्राओं का सिलसिला चलता रहा1 7 मई 1934 को कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने समाजवादी दल की स्थापना में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

आचार्य जी सच्चे अर्थों में शिक्षक थे। कुलपति के पद को सुशोभित करते हुए भी लखनऊ विश्वविद्यालय में आचार्य जी हम

राजपथ

सन 1952 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र यूनियन के उद्घाटन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे। उनकी अगवानी के लिए छात्र यूनियन और छात्र संसद के पदाधिकारी बाबतपुर हवाई अड्डे पर गए हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री से मेरा परिचय कराते हुए आचार्य जी ने कहा- "ये बी.एच.यू. कंट्री के प्रधानमंत्री हैं जिनके देश में कोई निरक्षर नहीं है और इनकी संसद में अधिकतर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं।" पं. नेहरू यह सुनकर हंस पड़े और इसके बाद जो ठहाका वहां लगा तो सारा एयरोड्रोम हिल उठा।

लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाया करते थे। पाली भाषा की कक्षाओं के अध्यापन में विशेष रुचि लेते थे। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तो इस तरह पढ़ाते थे कि लगता था जैसे सारी घटनाएं आंखों के सामने घटी हों। आचार्य जी का विचार था कि हम कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का दावा करते हैं इसलिए इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सरकार को काफी संख्या में अध्यापकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, यंत्रचालकों और महाप्रबंधकों की तथा छोटे-छोटे अन्य कार्यों के लिए सुशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसका यह अर्थ होता है कि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा यांत्रिक शिक्षा की सुविधाओं को विकसित किया जाए। अपने इन विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से अस्वस्थ्य होते हुए भी अपने मित्रों और शिक्षाविदों के आग्रह पर आचार्य जी ने 1947 में लखनऊ विश्वविद्यालय के और 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रबंध का भार कुलपति के रूप में ग्रहण किया। वे लगभग साढ़े चार वर्ष तक लखनऊ विश्वविद्यालय के और लगभग ढाई वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आचार्य जी ने जब इन विश्वविद्यालयों के प्रबंधन का उत्तरादायित्व ग्रहण किया था, उस समय इनकी दशा काफी चिंताजनक थी। उनके कार्यकाल में इन विश्वविद्यालयों की दशा में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। इसका मूल कारण उनका व्यक्तित्व, विद्यार्थियों के प्रति उनकी व्यापक सद्भावना और सहानुभूति, उनकी योग्यता, उनका त्याग और न्यायप्रिय-निष्पक्ष व्यवहार था। आचार्य जी ने दोनों विश्वविद्यालयों में अपने वेतन का चालीस प्रतिशत विद्यार्थियों की सहायता में लगाने का निश्चय किया और दान के आधार पर 'छात्र कल्याण निधि" की स्थापना की। आचार्य जी की सहानुभूति और सद्भावना हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ थी। उनका हितचिंतन, उनका मार्गदर्शन आचार्य जी के नेतृत्व का विशिष्ट अंग था। वे विद्यार्थियों के कष्टों और हितों की उपेक्षा को एक महान अपराध समझते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की आवासीय समस्या को हल करने के लिए 'कुलपति निवास" को छात्रावास में परिवर्तित करना एक अनुपम उदाहरण अन्य कुलपतियों के लिए भी था।

लुई फिशर महात्मा गांधी से जब वर्धा में मिले और उनसे भारतीय समाजवाद के बारे में जानना चाहा। महात्मा गांधी ने कहा था कि 'अगर भारतीय समाजवाद के बारे में जानना है तो पास की झोपड़ी में जाएं। वहां पर एक दुबला-पतला व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम नरेंद्र देव है। उसके मुख से निकली हुई बातें ही भारतीय समाजवाद है।

आचार्य नरेंद्र देव, गांधी और लुई फिशर

जो भी वे लिख गए हैं दिशा-निर्देशक हैं। उनके 'समाजवाद लक्ष्य तथा साधन' को पढ़कर हजारों नौजवान समाजवाद में दीक्षित हुए। वे भारतीय संदर्भ में समाजवाद को विशेषतः मार्क्स की तरह से समझने का दावा कर सकते थे। लुई फिशर महात्मा गांधी से जब वर्धा में मिले और उनसे भारतीय समाजवाद के बारे में जानना चाहा। महात्मा गांधी ने कहा था कि 'अगर भारतीय समाजवाद के बारे में जानना है तो पास की झोपड़ी में जाएं। वहां पर एक दुबला-पतला व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम नरेंद्र देव है। उसके मुख से निकली हुई बातें ही भारतीय समाजवाद है।"

कांग्रेस की छत्रछाया में 1934 में समाजवादी विचारों की नींव रखने वालों में आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख थे। तब से मृत्युपर्यंत वे बड़ी बेचैनी से अपने विश्वासों के प्रति संघर्ष करते रहे। मार्क्स पर आंतरिक आस्था रखते हुए भी वह गांधी जी के प्रति बराबर विश्वास से भरे रहे। 1951 में आचार्य जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में 'इलेक्शन मेनिफेस्टो" पर बिना भेदभाव के पं.जवाहरलाल नेहरू (कांग्रेस), श्यामा प्रसाद मुखर्जी(जनसंघ), डॉ. भीमराव अंबेडकर(रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी), श्री जयप्रकाश नारायण (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) और डॉ. जेड. ए. अहमद (कम्युनिस्ट पार्टी) को अपने विचार विद्यार्थियों के समक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने शिष्टाचार की आदर्श मिसाल उपस्थित की।

छात्रों में बेहद लोकप्रिय

आचार्य नरेंद्र देव लखनऊ विश्वविद्यालय में कितने लोकप्रिय थे इसका अंदाजा तो 1951 में देखने को मिला जब आचार्य जी लखनऊ छोड़कर काशी जा रहे थे। सैकड़ों छात्रों ने उन्हें रोकने के लिए कुलपति कार्यालय के सामने धरना दिया। वाराणसी में आचार्य जी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्ति की सूचना मिलते ही छात्रावासों में दिवाली मनाई गई। आचार्य जी का स्वागत महिला विद्यालय की छात्राओं ने आरती उतार कर और पुष्पवर्षा करके किया। वहां के प्रमुख समाचार पत्र 'आज" ने लिखा 'ऐसा स्वागत देवताओं को भी दुर्लभ।"

अलौकिक मानवीय स्वरूप

आचार्य जी परम मानवीय थे। वे सरल और सहृदय थे। सभ्य और विनम्र थे। कभी-कभी उनकी सरलता और विनम्रता सारी औपचारिकताओं को भी तोड़ देती थी। ऐसी ही एक घटना 1954 में मेरे साथ घटी। आचार्य जी अपने इलाज के लिए फ्रांस गए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उनका उपचार चल रहा था। मैंने यह समाचार रूस की राजधानी मास्को में 'प्रावदा" समाचार पत्र द्वारा जाना। सूचना मिलते ही मैंने मास्को के राजदूत श्री के.पी.एस.मेनन से फ्रेंच दूतावास से आचार्य जी के स्वास्थ्य की ताजा स्थिति और पेरिस हवाई अड्डे पर किसी कर्मचारी को भेजकर आचार्य जी का पता देने का निवेदन किया। पेरिस हवाई अड्डे पर आचार्य जी को खड़ा देख कर मेरे मन में अपराध बोध का भाव जाग उठा। आचार्य जी ने मेरी भावनाओं को समझकर बड़े प्यार से कहा- "फ्रांस में फ्रेंच का ज्ञान ना होने के कारण तुम्हे मेरे पास पहुंचने में कठिनाई होती, इसीलिए मैं स्वयं चला आया।' वे स्वभाव से जितने सरल थे, व्यवहार से उतने शालीन और उदार। अनुशासन के बारे में उतने अडिग भी थे।

मित्रों, आज हम कांग्रेस के भीतर समाजवादी आंदोलन की पहली इकाई की स्थापना कर रहे हैं। हमारे महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू की अनुपस्थिति में हमारा कार्य अत्यंत कठिन हो गया है। हम नहीं जानते कि हम उनकी बहुमूल्य सलाह, मार्गदर्शन और नेतृत्व से कब तक वंचित रहेंगे। मुझे विश्वास है कि वे कांग्रेस के भीतर इस नई पार्टी के जन्म का खुशी से स्वागत करेंगे और जेल की सलाखों के पीछे से हमारी प्रगति को गहरी दिलचस्पी से देखेंगे(पंडित जी उस समय देहरादून जेल में बंद थे)। आइए उनके महान उदाहरण से हमें उनकी कैद की अवधि के दौरान और प्रेरणा मिले और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि जिस उद्देश्य का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अंततः सफल होगा।"

आचार्य जी राजनीतिक रूप से कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और आजादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी-प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रहे।17 मई 1934 को पटना में संपन्न हुए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी।

प्रिय से प्रिय व्यक्ति की अनुशासनहीनता को वे बर्दाश्त नहीं करते थे।

बुद्ध से मोह

बौद्ध धर्म से उनका मोह था और मार्क्सवाद से उनकी प्रतिबद्धता। मृत्यु शय्या पर पड़े-पड़े उन्होंने मृत्यु से मात्र दो दिन पहले 'बौद्ध धर्म दर्शन" पर अपना अप्रतिम ग्रंथ पूरा किया। डॉ.टी.आर.वी.मूर्ति का कहना था कि " बौद्ध धर्म पर ऐसी समग्र पुस्तक दुनिया की किसी भी भाषा में आज तक लिखी ही नहीं गई। बौद्ध धर्म की जितनी शाखाओं, उप-शाखाओं की उसमें आधिकारिक विवेचना है, बहुतों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। ' एक बार बौद्ध दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान प्रो.लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मुझसे कहा था, "इस ग्रथ में बहुत सारे ऐसे पृष्ठ हैं जिनका विस्तार करके डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त प्राप्त की जा सकती है।'

सरलता एवं हास्य के पुंज

सरल, हास्य और विनोद के आचार्य जी जीवित पुंज थे। सन 1952 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र यूनियन के उद्घाटन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे।

सन 1937 में उनके विषय में सोचा जाता था कि वह उत्तरप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे परंतु वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 के अंतर्गत मंत्री पद के उत्तरादायित्वों को स्वीकार करने के भी विरुद्ध थे। इसीलिए यह प्रस्ताव भी उन्हें लुभा ना सका।

उनकी अगवानी के लिए छात्र यूनियन और छात्र संसद के पदाधिकारी बाबतपुर हवाई अड्डे पर गए हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री से मेरा परिचय कराते हुए आचार्य जी ने कहा- "ये बी.एच.यू. कंट्री के प्रधानमंत्री हैं जिनके देश में कोई निरक्षर नहीं है और इनकी संसद में अधिकतर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं।' पं. नेहरू यह सुनकर हंस पड़े और इसके बाद जो ठहाका वहां लगा तो सारा एयरोड्रोम हिल उठा।

सन 1937 में उनके विषय में सोचा जाता था कि वह उत्तरप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे परंतु वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 के अंतर्गत मंत्री पद के उत्तरादायित्वों को स्वीकार करने के भी विरुद्ध थे। इसीलिए यह प्रस्ताव भी उन्हें लुभा ना सका। सादा जीवन उच्च विचार तथा लगन के साथ काम करने में अनुशासन यह तीनों ही प्रवृत्तियां उनमें एकाकार होकर आ जमी थीं। गांधी युग में भी आचार्य नरेंद्र देव के नैतिक व्यक्तित्व का राजनीतिक क्षेत्र में एक असीम प्रभाव था। उत्तरप्रदेश विधानसभा में वह कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे। इसीलिए जब वह कांग्रेस से अलग हुए तो विधानसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देना उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा। आचार्य नरेंद्र देव, 19 फरवरी 1956 को शरीर के जीर्ण वस्त्र को त्यागकर उस लोक में चले गए जहां सबको जाना है।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादकीय निदेशक हैं

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

'हवा-हवाई' हवाई अड्डों के खुलने और बंद होने की कहानी

- यूपी समेत देश के तमाम हवाई अड्डों से बिजनेस नहीं मिलने पर सेवा ठप
- हवाई अड्डों के निर्माण में दूरी और यात्रियों की उपलब्धता का क्राइटेरिया क्यों नहीं
- चुनाव में नेतागिरी की विषय बन कर रह गई हैं हवाई अड्डों की घोषणा

देश के दूर दराज के ग्रामीण लोगों को हवाई यात्रा का सपना दिखाना जितना आसान है, उससे ज्यादा उस सपने को अमलीजामा तक पहुंचाना मुश्किल है। किराया आसमान छू रहा है और लोग सौ -डेढ़ सौ, दो सौ किलोमीटर की यात्रा भला पांच से दस हजार और उससे उपर के किराए में रूचि नहीं रख रहे। यही कारण है कि इस समय उत्तरप्रदेश सहित देश के करीब दस हवाई अड्डे उदघाटन के बाद यात्री की बाट जोहते जोहते बंद होने के कगार पर पहुंच गए है। क्या हवाई अड्डे का उदघाटन ही विकास का पैमाना है? उसके इतर भी तो कई मूलभूत आवश्यकताएं होती है। करोड़ो रुपए खर्च करने के बाद जब हवाई अड्डा बंद हो जाए तो फिर उसकी लागत से लेकर वहां तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी सरकार पर बोझ ही साबित हो रहे है। इसके पीछे के कारणों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही और लोक लुभावन नारों के बीच बिना आगे पीछे सोचे अत्याधुनिक हवाई सफर का पहले एलान किया गया और फिर उदघाटन कर वाहवाही लूटी गई।

चुनावी घोषणाएं और हवाई अड्डे

लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के चित्रकूट हवाईअड्डे का आभासी तरीके से उदघाटन दस मार्च को कर दिया। स्थानीय लोगों को लगा कि चित्रकूट (बुंदेलखंड) को अपना पहला हवाई अड्डा मिल गया। शुरुआत में चित्रकूट से लखनऊ की उड़ानें शुरू हुईं। हफ्ते में चार दिन उड़ानें होती थीं, लेकिन धीरे-धीरे ये कम होती गईं। चार महीने बीते और हवाई उड़ानें पूरी तरह से बंद हो गईं। पिछले करीब एक साल से यहां से कोई यात्री विमान उड़ान नहीं भर सका। यात्रियों की संख्या कम होने जैसे इसके कारणों पर अब सरकार ध्यान दे रही है।

इसी तरह 2022 के उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर, 2021 को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उदघाटित इस हवाई अड्डे से भी करीब चार साल हो गए कोई भी विमान विदेश के लिए उड़ान नहीं भर सका।

लागत, रख-रखाव और कर्मचारियों पर खर्च

चित्रकूट हवाई अड्डा करीब 146 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था। यहां से लखनऊ का 250 किलोमीटर का सफर 55 मिनट में पूरा होता था। शुरुआत में हफ्ते में दो दिन विमान उड़ान भरता था। बाद में चार दिन हो

ग या । लेकिन, 16 दिसंबर, 2024 से उड़ानें बंद हो गईं। चित्रकूट हवाई अड्डे में करीब 70 कर्मचारी कार्यरत हैं। सुरक्षा के लिए करीब 40 सीआईएसएफ के जवान बाकी कुछ अलग कर्मचारी भी हैं। कर्मचारी ड्यूटी पर आ रहे हैं लेकिन विमान उड़ान नहीं भर रहा। हवाई अड्डा प्रशासन कई प्रकार की समस्याएं बता रहा है। हवाई अड्डा निदेशक दबी जुबान से कहते हैं कि जिस कंपनी को वहां से उड़ानें शुरू करनी थी अब वह कतरा रही है। एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं, अब सरकार को तय करना है कि वो क्या फैसला लेगी?

यूपी में 7 जगह से उड़ानें ठप

उत्तरप्रदेश में इसी तरह से एक अंतरराष्ट्रीय सहित सात उड़ानें बंद हो गई। अभी जहां-जहां और हवाई अड्डा निर्माण का काम चल रहा, वहां भी इस बात की आशंका है कि बहुत ज्यादा उड़ानें नहीं हो पा एं गी । क यों कि , उनके पास के जिले से पहले ही उड़ानें जारी हैं। देश के एक बड़े दैनिक अखबार और एक निजी चैनल ने इस तरह उड़ान बंद होने के बाद हवाईअड्डों के शटर गिराने पर चिंता जाहिर करते हुए चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित और प्रसारित की है।

रेलवे स्टेशन और बस अड्डा नहीं लेकिन सपना हवाई अड्डे का

उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन नहीं है लेकिन केंद्र सरकार ने बिना कुछ सोचे- विचारे हवाई अड्डे का उदघाटन कर दिया। लखनऊ से इस जिले की दूरी 153 किलोमीटर है। श्रावस्ती

दूध का दूध, पानी का पानी

इस समय उत्तर प्रदेश सहित देश के करीब दस हवाई अड्डे उद्घाटन के बाद यात्री की बाट जोहते जोहते बंद होने के कगार पर पहुंच गए है। क्या हवाई अड्डे का उद्घाटन ही विकास का पैमाना है? उसके इतर भी तो कई मूलभूत आवश्यकताएं होती है। करोड़ो रुपए खर्च करने के बाद जब हवाई अड्डा बंद हो जाए तो फिर उसकी लागत से लेकर वहां तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी सरकार पर बोझ ही साबित हो रहे है। इसके पीछे के कारणों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही और लोक लुभावन नारों के बीच बिना आगे पीछे सोचे अत्याधुनिक हवाई सफर का पहले एलान किया गया और फिर उदघाटन कर वाहवाही लूटी गई।

में न रेलवे स्टेशन न ही कोई सरकारी बस अड्डा है। लोग दूसर शहर जाकर बस और ट्रेन पकड़ते हैं। ऐसे में हवाई अड्डे का उदघाटन किस बिना पर किया गया, यह जबाब किसी के पास नहीं है। फिर श्रावस्ती हवाई अड्डे का हश्र भी चित्रकूट की तरह साबित हुआ और वह इस समय बंद है।

दस मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 12 हवाई अड्डे के टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। इसमें उत्तरप्रदेश के चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़ कुशीनगर हवाई अड्डों के अलावा दूसरे राज्यों में भावनगर, लुधियाना, पाकयोंग में भी लोगों को हवाई सफर का सपना दिखाया गया। लेकिन इस समय ये सभी हवाई अडडे बंद पड़े हैं। कहीं एक साल तो कहीं डेढ़ साल तक ही वहां से उड़ानें भरी गई।

कुशीनगर हवाई अड्डे के निदेशक का कहना है कि कई प्रकार की अड़चने आने के के बाद मामला अदालत में है। विमान सेवा कब शुरू होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां भी 170 कर्मचारियों के साथ 150 सीआईएसएफ जवान और 20 अन्य हवाई अड्डा कर्मचारी बैठे बैठे वेतन ले रहे हैं। कुशीनगर हवाई अड्डे की कुल लागत करीब 260 करोड़ रुपए थी। उद्घाटन के दिन श्रीलंका के कोलंबो से उस वक्त के खेल मंत्री नमल राजपक्षे समेत 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था। इसमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षु थे। यहां के बौद्ध स्थलों पर जाने के बाद सभी वाराणसी पहुंचे। मार्च 2022 में भी कुछ लोगों को लेकर एक विमान वियतनाम से यहां पहुंचा था। सात नवंबर, 2023 से विमान सेवा बंद है।

उत्तरप्रदेश में इस समय तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे- वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या से उड़ाने भरी जा रही हैं। इसके अलावा पांच घरेलू हवाई अड्डों से अलग-अलग शहरों के लिए लगातार उड़ाने जा रही हैं। इनमें प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद और बरेली शामिल हैं। यहां से अलग-अलग हवाई जहाज की कंपनियों के विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं।

सहारनपुर से एक भी उड़ान नहीं

उत्तर प्रदेश का एक अन्य हवाई अड्डे सहारनपुर का भी उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक एक भी उड़ान नहीं भरी गई। 20 अक्टूबर, 2024 को 65 एकड़ जमीन पर 55 करोड़ की लागत से बने सहारनपुर हवाई अड्डे से जनता हवाई सफर की बाट आज तक जोह रही है।

एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नहीं देखी गई

हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा के समय एक से दूसरे शहर की दूरी नहीं देखी गई। प्रयागराज हवाई अड्डा से चित्रकूट की दूरी महज 101 किलोमीटर है। इसी तरह गोरखपुर हवाई अड्डे से आजमगढ़ की दूरी 116 किलोमीटर है।

दूध का दूध, पानी का पानी

गोरखपुर हवाई अड्डे से तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की दूरी महज 51 किलोमीटर ही है। इसी तरह लखनऊ से श्रावस्ती की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। अयोध्या हवाई अड्डे से श्रावस्ती महज 110 किलोमीटर ही है। लखनऊ से पलिया की दूरी 160 किलोमीटर है।

आगरा हवाई अड्डे से अलीगढ़ की दूरी 90 किलोमीटर है। इसी तरह मुरादाबाद से नोएडा और गाजियाबाद की भी दूरी 200 किलोमीटर से कम है। इन सारे हवाई अड्डों से उड़ानों के बंद होने के पीछे पहले से चल रहे कुछ हवाई अड्डे भी एक बड़ी वजह हैं। यही नहीं अभी सोनभद्र के म्योरपुर में भी हवाई अड्डे का निर्माण का काम जारी है। सोनभद्र का हवाई अड्डा 2022 में ही बन जाना था। लेकिन, पार्किंग से जुड़ी जमीन का मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत में लंबे वक्त तक स्टे रहने के बाद भी पिछले महीने उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्री रवींद्र जायसवाल यहां पहुंचे और कहा कि सरकार हर मंडल में हवाई अड्डा का निर्माण करना चाहती है। मिर्जापुर मंडल का यह हवाई अड्डा भी जल्द शुरू करने का प्रयास चल रहा है।

उत्तरप्रदेश में इस समय तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे- वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या से उड़ाने भरी जा रही हैं। इसके अलावा पांच घरेलू हवाई अड्डों से अलग-अलग शहरों के लिए लगातार उड़ाने जा रही हैं। इनमें प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद और बरेली शामिल हैं। यहां से अलग-अलग हवाई जहाज की कंपनियों के विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। अब जो नए हवाई अड्डे उद्घाटन के बाद बंद हुए हैं, उनमें से ज्यादातर इन्हीं शहरों के आसपास बने हैं।

इस वजह से भी वहां यात्रियों की संख्या विमान के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रही है। यही नहीं इस समय पांच अन्य जिलों में भी हवाई अड्डे प्रस्तावित हैं जिनमें मेरठ, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, नोएडा शामिल है। मेरठ के परतापुर में पिछले महीने हवाई अड्डा अथारिटी आफ इंडिया और जिला प्रशासन ने हवाई अड्डे का निरीक्षण किया।

दिल्ली से सटे नोएडा में जेवर हवाई अड्डे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कर दिया है। यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यहां एक साथ 178 विमान खड़े करने की सुविधा के साथ छह रनवे बनाए जा रहे हैं। दिसंबर में शायद इस हवाई अड्डे से उड़ाने शुरू हो जाए। हवाई अड्डों के खुलने और बंद होने की इस कहानी से जाहिर होता है कि अब देश में सरकारी घोषणाओं और जनता के पैसे की बर्बादी की कोई जवाबदेही नहीं है। ताजातरीन उदाहरण बिहार में पूणियां और दरभंगा के हवाई अड्डे हैं जिनकी घोषणा भी चुनावी नफे को देखते हुए कर दी गई है जबकि वहां तमाम बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। आशंका इसी बात की है कि देर-सबेर हवाई किराया और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इन हवाई अड्डों का भी वही हश्र होने वाला है जो बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश में सामने आया है।

हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा के समय एक से दूसरे शहर की दूरी नहीं देखी गई। प्रयागराज हवाई अड्डा से चित्रकूट की दूरी महज 101 किलोमीटर है। इसी तरह गोरखपुर हवाई अड्डे से आजमगढ़ की दूरी 116 किलोमीटर है। गोरखपुर हवाई अड्डे से तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की दूरी महज 51 किलोमीटर ही है। इसी तरह लखनऊ से श्रावस्ती की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। अयोध्या हवाई अड्डे से श्रावस्ती महज 110 किलोमीटर ही है। लखनऊ से पलिया की दूरी 160 किलोमीटर है। आगरा हवाई अड्डे से अलीगढ़ की दूरी 90 किलोमीटर है। इसी तरह मुरादाबाद से नोएडा और गाजियाबाद की भी दूरी 200 किलोमीटर से कम है।

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

जब तकनीक और प्रकृति हों साथ, तब हम कहलाते हैं

प्रगति की खाद

पंकज कुमार सिंह

कीटनाशक का इस्तेमाल करें लेकिन जरा संभल कर...!

अधिक उपज की चाह में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जमीन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ रहा है। इन रसायनों से जहाँ एक ओर कीटों का नियंत्रण होता है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कीटनाशक मिट्टी के लाभकारी जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता घटती है। लगातार उपयोग से मिट्टी की संरचना बिगड़ जाती है और रासायनिक अवशेष भूजल में पहुंचकर जल प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। परिणामस्वरूप फसलों की गुणवत्ता और पैदावार दोनों पर असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह प्रत्यक्ष रूप से वायु, पशु और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है।

कीटनाशकों के बाजार में अवैध और नकली कीटनाशकों की भरमार है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी, 2021) का अनुमान है कि वैश्विक बाजार में हर साल आने वाले 5 से 15 प्रतिशत कीटनाशक अवैध या नकली होते हैं। किसानों के स्वास्थ्य, फसल और खाद्य सुरक्षा को होने वाले नुकसान के अलावा, इन अवैध और नकली कीटनाशकों का प्रयोग मिट्टी को प्रदूषित कर करता है और भविष्य में होने वाली फसलों की व्यवहार्यता पर भी असर डाल सकता है।

पिछले कुछ दशकों में खेत में कीटनाशक के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। कीटनाशकों और उर्वरकों पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की रिपोर्ट बताती है कि फसल भूमि की प्रति इकाई कीटनाशक सक्रिय घटक के उपयोग की दर 1990 में 1.9 किलोग्राम / हेक्टेयर से बढ़कर 2016 में 3.3 किलोग्राम / हेक्टेयर हो गई है जो कि विश्व स्तर पर 34.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कि गई है। एशिया क्षेत्र में कीटनाशक उपयोग की वृद्धि दर 33.2 प्रतिशत दर्ज कि गई है।

सिडनी विश्वविद्यालय और खाद्य व कृषि संगठन ने बताया कि दुनिया भर में खेतों में करीब 30 लाख टन कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। इसमें से करीब 70 टन

- मानव के साथ पर्यावरण के लिए भी खतरनाक
- मिट्टी के साथ भूजल का भी काम-तमाम

कीटनाशक जमीन के अंदर भू-जल में मिल रहा है। यह जमीन के अंदर मौजूद पानी को भी जहरीला बना रहा है। शोध में सामने यह भी सामने आया है कि कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक लम्बी दूरी तय कर नदियों और समुद्र तक पहुंच रहा है। अध्ययन में यह सामने आया है कि 710 टन कीटनाशक प्रतिवर्ष की दर से नदियों में घुल रहा है। इन कीटनाशकों में से करीब 710 टन हर साल समुद्रों तक पहुंच रहा है जो वहां भी समुद्री जीवन और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन रहा है।

अधिकांश मात्रा में कीटनाशक अणुओं में विभाजित हो कर फसलों के आस- पास ही मिट्टी में विघटित हो जाते हैं। शोधकर्ता कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि "कभी फसलों के लिए वरदान समझे जाने वाले यह कीटनाशक आज इनके बेतहाशा बढ़ते उपयोग के कारण अभिशाप बन गए हैं। कीटनाशक पर्यावरण के साथ - साथ, पानी, मिट्टी, हवा और खाद्य पदार्थों को भी जहरीला बना रहे हैं। आज यह न केवल जैविक विविधता बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गए हैं। इनका अंधाधुन तरीके से खेतों में होता उपयोग, किसानों के लिए भी खतरा है क्यूंकि यह मिट्टी की गुणवत्ता को बिगड़ रहा है।"

भारत दुनिया भर में कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों में से एक है, लेकिन यहाँ प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों की खपत विकसित देशों की तुलना में कम है। इसके बावजूद, सघन कृषि पद्धतियों के कारण, विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, कीटनाशकों का व्यापक उपयोग हुआ है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों में ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट और सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड शामिल हैं।

खेतों के कीटनाशक से प्रदूषण का राज्यवार विश्लेषण

अध्ययनों से भारत भर में कीटनाशक अवशेषों

के विभिन्न स्तरों की जानकारी मिली है जिसमे बताया गया है कि पंजाब में 0.74 किग्रा/एकड़ प्रति कीटनाशक की अनुप्रयोग दर है जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश कीटनाशक की खपत में सबसे ऊपर रहा, इसके बाद महाराष्ट्र और पंजाब का स्थान रहा। इन तीन राज्यों में भारत की कुल कीटनाशक खपत का लगभग 51% है। पंजाब और हरियाणा के भूजल में ऑर्गनोफॉस्फेट अवशेषों का उच्च स्तर, प्रभावित क्षेत्रों में कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों के मामलों में वृद्धि का कारण बन रहा है। गेहूँ और चावल की खेती में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप पेयजल स्रोत दूषित हो गए हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में एंडोसल्फान संदूषण गंभीर स्वास्थ्य संकटों से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय आबादी में जन्मजात विकलांगता और बांझपन शामिल है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पेयजल स्रोतों में क्लोरपाइरीफॉस और मैलाथियान पाए गए हैं, जिससे निवासियों में तीव्र और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ में, कपास की खेती में अत्यधिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से कीटनाशक विषाक्तता बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय बागानों में कीटनाशकों के गहन प्रयोग के कारण मिट्टी और जल निकायों में डीडीटी, एचसीएच और ऑर्गेनोफॉस्फेट की उपस्थिति बढ़ रही है। कई चाय बागानों ने निर्यातित चाय उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों की सूचना दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी चिंताएँ पैदा हो रही हैं।

गुजरात और कर्नाटक में सब्जियों और फलों की फसलों में कीटनाशकों के अवशेषों में

वृद्धि, जिससे खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हो रही हैं। बाज़ार सर्वेक्षणों से पता चला है कि टमाटर, बैंगन और खीरे जैसी आम तौर पर खाई जाने वाली सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष अक्सर स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा होते हैं। बिहार और ओडिशा में सतही जल निकायों में कीटनाशकों के प्रदूषण से मत्स्य पालन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। नदी आधारित मत्स्य पालन पर निर्भर स्थानीय समुदायों ने कीटनाशकों से उत्पन्न पारिस्थितिक असंतुलन के कारण मछलियों की संख्या में कमी और आय में गिरावट की सूचना दी है।

कीटनाशक प्रदूषण के पर्यावरणीय परिणाम

पर्यावरण का लगभग हर हिस्सा कीटनाशकों से दूषित हो चुका है। कीटनाशकों के अवशेष मिट्टी, हवा, भूजल और सतही जल में पाए जाते हैं। कीटनाशकों के अवशेष मिट्टी में लंबे समय तक बने रहते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कीटनाशक मिट्टी के सूक्ष्मजीवों और लाभकारी जीवों, जैसे केंचुओं, को नुकसान पहुंचाता है, जो पोषक तत्वों के चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कीटनाशक प्रदूषण ने पर्यावरण और गैर-लक्षित जीवों, जिनमें सूक्ष्मजीवों से लेकर कीड़े, मछलियाँ, पक्षी और पौधे शामिल हैं, के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कीटनाशकों के विविध पारिस्थितिक प्रभाव होते हैं और ये अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। पारिस्थितिक स्तर पर प्रभावों को आमतौर पर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के प्रारंभिक संकेत के रूप में पहचाना जाता है। ये प्रभाव किसी जीव पर इस्तेमाल किए गए कीटनाशक के प्रकार के अनुसार भिन्न होते हैं। अधिकांश पारिस्थितिक प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं और शोधकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, इसलिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समस्याएँ हैं।

खेत में किया गया कीटनाशक का उपयोग वर्षा या सिंचाई के जल के साथ कीटनाशक नदियों, तालाबों व भूजल में पहुंच जाते हैं। इससे जलीय जीवों की मृत्यु होती है और पीने योग्य जल प्रदूषित हो जाता है। जलस्रोतों में कीटनाशक का जमाव बायोमैग्निफिकेशन (Bio-magnification) को बढ़ाता है यानी जल जीवों से होते हुए यह मनुष्य के शरीर तक पहुंचते हैं।

वर्तमान में भारत में 70% से अधिक कीटनाशकों में एचसीएच और डीडीटी जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक शामिल हैं। भोपाल, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों तथा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि मीठे पानी की प्रणालियों के साथ-साथ बोतलबंद पेयजल के नमूनों में भी कीटनाशकों की उच्च मात्रा पाई गई है।

किसान सेंटर

कीटनाशकों से मानव स्वास्थ पर प्रभाव

कीटनाशकों का मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों के लिए इनके संपर्क का मुख्य मार्ग भोजन के माध्यम से होता है। कीटनाशकों के संपर्क में आने से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं। हालाँकि जब तक कोई व्यक्ति नियमित रूप से कीटनाशकों के संपर्क में न रहे, तीव्र विषाक्तता असामान्य है, लेकिन कीटनाशकों की कम खुराक के दीर्घकालिक संपर्क से कई दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ होने की संभावना रहती है। कीटनाशक कोशिकीय प्रक्रियाओं को भी बाधित कर सकते हैं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से कैंसर कोशिकाओं का विकास हो सकता है। विशेष रूप से, कीटनाशक ग्लाइफोसेट को ट्यूमर विकसित होने के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है ।

ऐसा नहीं है कि कीटनाशकों के उपयोग से केवल उपभोक्ताओं का ही स्वास्थ्य प्रभावित होता है। किसान और कृषि श्रमिक के स्वस्थ पर भी कीटनाशक का गंभीर प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कीटनाशक विषाक्तता दुनिया भर में कृषि श्रमिकों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। विशेषज्ञों का मानना है कि निम्न स्तर के कीटनाशकों के लगातार संपर्क में रहने से किसानों और कृषि श्रमिकों के तंत्रिका तंत्र में कई तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, तनाव, क्रोध, अवसाद, स्मृति क्षीणता, पार्किंसंस रोग , अल्जाइमर रोग आदि।

स्वास्थ पर कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिए उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के प्रभाव को कम कर पाना इस बात पर निर्भर करता है कि कीटनाशक के अवशेष सतह पर हैं, तो फलों, सब्ज़ियों और अनाज जैसी ताज़ी उपज से कुछ कीटनाशक अवशेषों को धोने से हटाने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर कीटनाशक खाद्य पदार्थों के ऊतकों में प्रवेश कर गया है, तो उसे धोने से हटाना उतना प्रभावी नहीं हो सकता। फलों और सब्जियों के छिलके को छीलना या छांटना कीटनाशक अवशेषों को कम करने का एक कारगर तरीका माना जाता है। बाहरी परतों को हटाकर, जिनमें फलों या सब्जियों के अंदर की तुलना में कीटनाशकों की अधिक सांद्रता होती है, उपभोक्ता कुछ मामलों में अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर

सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में आहार फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे अन्य मूल्यवान घटक भी नष्ट हो सकते हैं।

भारत में कीटनाशक मुक्त कृषि और उत्पाद के उपाय

भारत में रासायनिक कीटनाशक-मुक्त खेती के समाधान के लिए प्राकृतिक खेती, शून्य बजट प्राकृतिक खेती और जैविक खेती जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना शामिल है। इसमें फसल विविधीकरण, फसल चक्र, और जैविक आदानों जैसे कि गोबर-मूत्र योगों, नीम-आधारित कीटनाशकों और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, कीटों को पकड़ने के लिए फेरोमोन और स्टिकी ट्रैप जैसे भौतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जो लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हैं। कीटनाशक-मुक्त खेती के समाधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है। जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रमुख योजनाएं हैं।

उपभोक्ता सुरक्षा और बाजार

भारत में उपभोक्ताओं के लिए कीटनाशक-मुक्त उत्पादों की पहचान करने के लिए उत्पादों पर प्रमाणन चिन्ह होता है जो ये गारंटी देता है कि उत्पाद सरकारी मानकों के अनुसार उगाए गए हैं।

- जैविक भारत लोगोः भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानकप्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी किया गया एक एकीकृत लोगो है। यह भारत में जैविक खाद्य उत्पादों की आधिकारिक पहचान है।
- इंडिया ऑर्गेनिक (India Organic) लोगोः यह लोगो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा प्रमाणित उत्पादों पर लगाया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के मानदंडों को पूरा करता है।
- PGS-इंडिया लोगोः यह भारत में जैविक उत्पादों के लिए एक वैकल्पिक प्रमाणन प्रणाली है। इसमें 'PGS-इंडिया ऑर्गेनिक' और 'PGS-इंडियाग्रीन' लोगो शामिल हैं, जो प्रमाणित जैविक खेतों से प्राप्त उत्पादों के लिए होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशनः कुछ उत्पादों पर ECOCERT जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन भी हो सकते हैं, जो वैश्विक मानकों का पालन करते हैं।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

जीवन ज्योति

गांव में पानी पहुंचा... फीता काटने का मौका नहीं दिया तो नाराज हो गए नेताजी

भारत में पानी और सफाई जैसे विषयों पर स्थिति बहुत खराब
फोटो ऑपर्चुनिटी नहीं, जमीन पर काम करने का विषय

भारत में स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल योजना की चर्चा बड़े जोर शोर से की गई। समय-समय पर तमाम अभियान इस बाबत शुरू किए गए। नेताओं की भव्य तस्वीरें रवायती तौर पर समाने आईं लेकिन हकीकत में तस्वीर क्या है, यह जांचने और समझने का विषय है।

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की जिलाधिकारी और तेज तर्रार आईएएस अफसर दिव्या मित्तल को तत्काल इसलिए पद से स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हर घर जल योजना के तहत एक गांव में नल से पानी पहुंचाया लेकिन उसका उद्घाटन किसी नेता से करवाने के बजाए उसे सीधे जनता को उपलब्ध करवा दिया। ये बात नेताजी को नागवार गुजरी और फौरन उन्हें पद से हटा दिया गया।

बात यहीं तक होती तो भी कोई बात थी। स्थानीय विधायक और सांसद के पिछलग्गुओं ने तोड़फोड़ की और गांव तक जो पानी पहुंचा था वह भी बंद हो गया।

इससे जाहिर क्या होता है कि ये योजना जनता के लाभ के लिए बाद में है पहले नेताजी की तस्वीर के लिए है। इसी से समझा जा सकता है कि साफ पानी हो या सफाई भारत जैसे देश में स्थिति इतनी विकट क्यों है। लेकिन बात यहां बड़े फलक की है। हम आपको दुनिया के संदर्भ में इन विषयों पर सुविधाओं की उपलब्धता की तस्वीर से रूबरू कराएंगे।

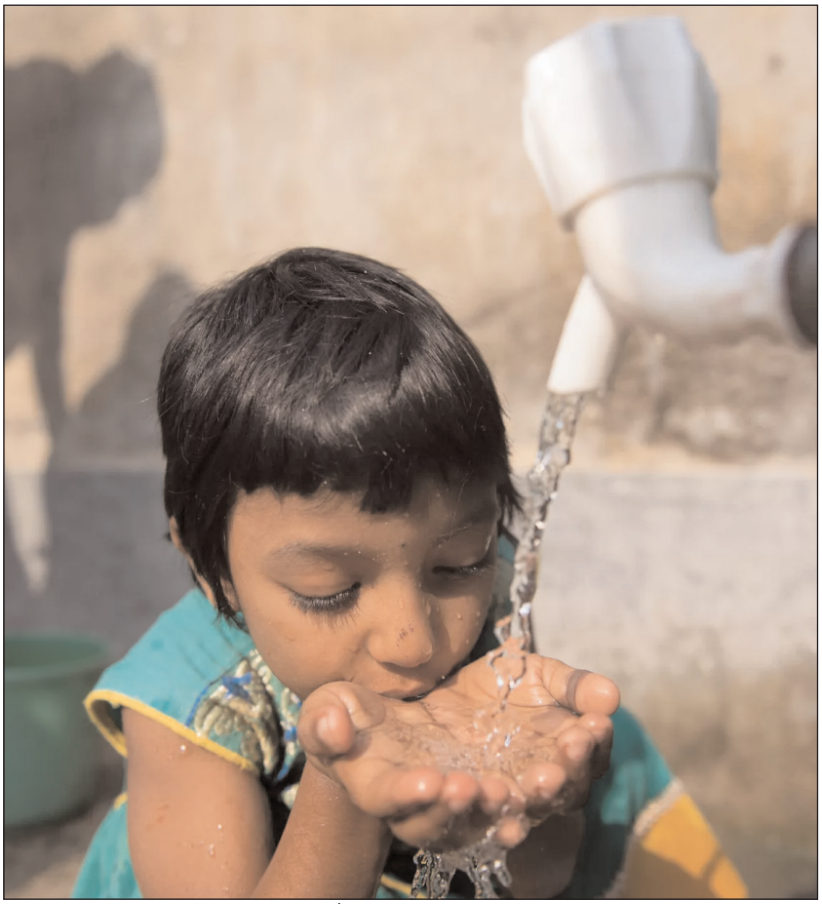

कुछ तथ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ ने विश्व जल सप्ताह 2025 के मौके पर अपनी नई रिपोर्ट "प्रोग्रेस ऑन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2000-2024: स्पेशल फोकस ऑन इनइक्वैलिटीज' जारी की है।

रिपोर्ट के अनुसार :

- दुनिया में हर चौथा व्यक्ति अब भी साफ पानी से वंचित है।
- 10.6 करोड़ लोग सीधे नदियों, तालाबों या झीलों से पानी पीने को मजबूर हैं।
- 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं।
- 61.1 करोड़ लोगों के पास तो हाथ धोने या स्वच्छता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है।
- पूरी दुनिया में अरबों लोग आज भी स्वच्छ व सुरक्षित पीने के पानी और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं।
- पिछले दस सालों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन स्थिति अब भी विकट है।
- सबसे कमजोर समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय

यह समस्या हर जगह समान नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि कम विकसित देशों में रहने वाले लोग बाकी देशों की तुलना में दो गुना ज्यादा पानी और शौचालय सेवाओं से वंचित हैं। नाजुक हालात वाले क्षेत्रों में सुरक्षित पानी की पहुंच बाकी देशों से 38 प्रतिशत कम है। यानी गरीबी, असुरक्षा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा कठिनाई झेलते हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अंतर

रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। 2015 से 2024 के बीच ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित पानी की पहुंच 50 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गई। इसी अवधि में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा 52 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हो गई। लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है। यानी गांवों में थोड़ी प्रगति हुई है, पर शहरों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

महिलाओं और लड़कियों पर असर

रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाएं और किशोरियां इस संकट का बोझ ज्यादा उठाती हैं। 70 देशों के आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकांश महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के समय बहुत सी दिक्कतों का सामना करना है। ज्यादातर देशों में महिलाएं और लड़कियां ही पानी लाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में वे रोजाना 30 मिनट से ज्यादा समय पानी लाने में खर्च करती हैं। इसका सीधा असर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है।

सतत विकास लक्ष्य और चुनौती

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक यह लक्ष्य रखा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित पानी, शौचालय और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध हों। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा गति से यह लक्ष्य पाना मुश्किल होता जा रहा है।

रिपोर्ट में पहली बार भारत के लिए कुल अनुमान उपलब्ध है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता पर नए एकत्रित आंकड़े पिछली रिपोर्ट की तुलना में आंकड़ों की उपलब्धता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

भारत के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मुताबिक, फरवरी 2025 तक, स्वच्छता सुविधाओं वाले 17 फीसदी घर मल-अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से जुड़े थे।

खासतौर पर खुले में शौच को खत्म करना और बुनियादी पानी व स्वच्छता सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाना अब भी संभव है, लेकिन इसके लिए सरकारों और सामाजिक संगठनों को बहुत तेजी से काम करना होगा। वहीं सभी लोगों तक सुरक्षित और प्रबंधित सेवाएं पहुंचाना अब असंभव के करीब दिखने लगा है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, पानी और स्वच्छता सेवाएं केवल विकास का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन और गरिमा का मूलभूत अधिकार हैं। अरबों लोग अब भी इन सुविधाओं से वंचित हैं और अगर तुरंत और बड़े पैमाने पर कदम नहीं उठाए गए, तो 2030 तक हर व्यक्ति तक सुरक्षित पानी और शौचालय पहुंचाने का सपना अधूरा रह जाएगा।

निराशा में आशा की किरण

नागालैंड विश्वविद्यालय द्वारा पानी के रिचार्ज और रिकवरी विषय पर एक बहु-देशीय शोध में इस समस्या का अध्ययन किया गया और उसे विशेषकर भारत के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया।

सिर्फ तकनीक नहीं किसान का साथ भी चाहिए

शोध के निष्कर्षों में ये बात सामने आई कि जिन गांवो में किसानों ने इन विषयों पर अपने दायित्वों को समझते हुए काम किए वहां स्थिति बेहतर हुई। अध्ययन के मुताबिक, भारत के गांवों में अगर पानी की समस्या का टिकाऊ हल चाहिए, तो सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि किसानों की भागीदारी से ही बदलाव मुमकिन है। नागालैंड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए

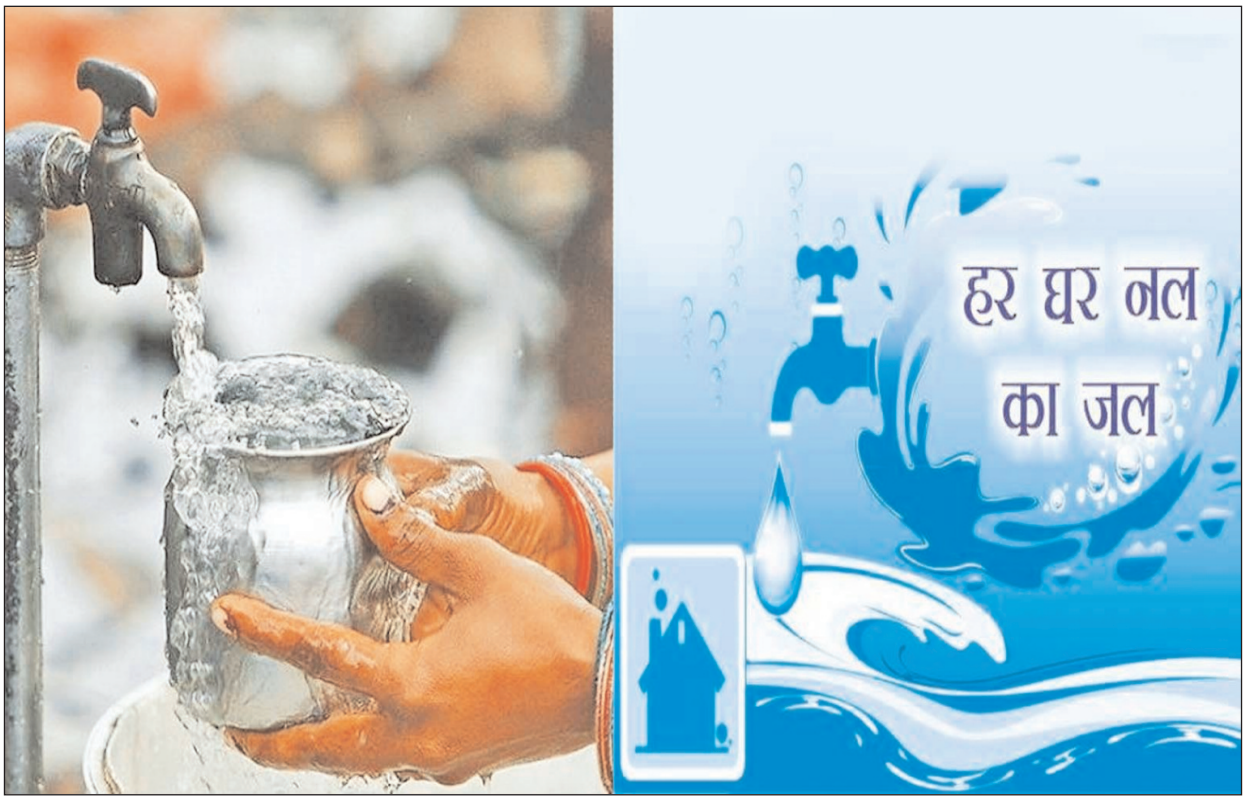

गए इस बहु-देशीय शोध ने यह साफ कर दिया है कि 'एक्विफर रीचार्ज एंड रिकवरी" यानी एएसआर जैसी तकनीक तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक इसमें स्थानीय लोग खासकर किसान खुद भाग न लें। शोध टीम का नेतृत्व नागालैंड विश्वविद्यालय के प्रो. प्रभाकर शर्मा ने किया।

एएसआर तकनीक का उद्देश्य वर्षा या सतही जल को विशेष संरचनाओं के जरिए जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल स्तर को फिर से भरना है। दक्षिण बिहार के नालंदा जिले के मेयर और नेकपुर गांवों में इस तकनीक को पायलट तौर पर आजमाया गया। मेयर गांव के किसानों ने सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन 'रीचार्ज पिट्स' की नियमित सफाई और देखरेख की, जिससे उन्हें बेहतर सिंचाई, अतिरिक्त फसलों की बुवाई और भरोसेमंद पैदावार का लाभ मिला। वहीं, नेकपुर में किसानों की उदासीनता और संदेह के कारण संरचनाएं बेकार पड़ी रहीं। यह फर्क साफ दिखाता है कि तकनीक तभी टिकती है जब लोग उसे अपनाएं।

सरकार से नीतिगत समर्थन की अपेक्षा

यह शोध बताता है कि एएसआर का भविष्य केवल इंजीनियरिंग मॉडल पर नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग और नीतिगत समर्थन पर टिका है। अध्ययन के अनुसार एक रीचार्ज पिट की लागत करीब 33,000 से 35,000 रुपए आती है, जो परंपरागत बोरवेल से सस्ता है। फिर भी अधिकांश किसान खुद इस पर निवेश करने से हिचकते हैं और सरकारी या संस्थागत सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यही कारण है कि शोधकर्ताओं ने नीति-निर्माताओं से आग्रह किया है कि वे शुरुआती चरण में मध्यम और बड़े किसानों को लक्षित कर सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा दें। शोध सिर्फ गांव के अनुभवों तक सीमित नहीं था।

इसमें पानी की गुणवत्ता, मिट्टी की अवशोषण क्षमता, स्थल की ऊंचाई, वर्षा के आंकड़े और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के आधार पर साइट चयन किया गया। भूगर्भीय परीक्षणों और जल रसायन विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि दक्षिण बिहार की जमीनें एएसआर के लिए अनुकूल हैं। खासकर वे इलाके जहां चट्टानी या गहरे नद-तटीय एक्विफर मौजूद हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया कि एएसआर तकनीक के जरिए न सिर्फ सिंचाई का भरोसा बढ़ता है, बल्कि पानी की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे कृषि में विविधता और आमदनी दोनों बढ़ते हैं। इस शोध ने भुंगूरू जैसी देसी तकनीकों का भी संदर्भ दिया है, जिनका इस्तेमाल स्थानीय जरूरतों के मुताबिक किया जा सकता है। भुंगरू एक कम लागत वाली भूमिगत संरचना है, जो बरसाती पानी को भूमि की निचली जलधाराओं में पहुंचाती है। यह खासकर उन जगहों पर उपयोगी है जहां एक ही क्षेत्र में साल में कभी बाढ़ आती है और कभी सूखा पड़ता है। यानी पानी कभी जरूरत से ज्यादा और कभी बिल्कुल नहीं।

मॉडल को व्यापक आधार देने की जरूरत

शोध में एक व्यापक क्रियान्वयन मैनुअल तैयार करने की सिफारिश की गई है, जिससे दूसरे राज्यों और जलसंकट वाले क्षेत्रों में भी एएसआर को लागू किया जा सके। शोध में कहा गया है कि भारत जैसे देश, जो दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल इस्तेमाल करते है, वहां केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं हैं। जब तक किसान नीतियों के केंद्र में नहीं होंगे, तब तक किसी भी तकनीक की उम्र सीमित रहेगी। जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और जल स्रोतों के सूखने की चुनौती से जूझते ग्रामीण भारत के लिए एएसआर एक मजबूत विकल्प बन सकता है, बशर्ते इसे सामूहिक भागीदारी और सामाजिक न्याय के मॉडल के रूप में अपनाया जाए।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

सुरेश उपाध्याय

क्योंकि, पृथ्वी नाम का यह ग्रह आज ICU में है!

जर्मनी में प्रकृति और पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था पॉट्सडाम इंस्टिट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च (पीआईके) ने 'प्लैनेट हेल्थ चेक 2025' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, अगर हमारा ग्रह एक अस्पताल का मरीज होता, तो आज वह आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) में भर्ती होता। संस्था से जुड़े वैज्ञानिक और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले बोरिस साक्सचेव्स्की ने कहा, 'अभी कई पैरामीटर सामान्य दायरे से बाहर हैं। यानी वह खराब स्थिति में है और पृथ्वी नाम की यह मरीज खतरे में है।'

उन्होंने कहा कि, 'आप इसे यूं समझ सकते हैं, जैसे किसी मरीज के शरीर में सूजन का स्तर बहुत ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, लिवर की हालत बिगड़ रही हो, फेफड़ा ठीक से काम न कर रहा हो, यानी एक साथ कई गंभीर समस्याएं। हर एक समस्या अपने आप में खतरनाक है, लेकिन जब ये सभी साथ मिल जाती हैं तो स्थिति और भी घातक हो जाती है।'

शोधकर्ताओं ने 'प्लैनेटरी हेल्थ चेक' का मानक साल 2009 में विकसित किया था। यह प्लैनेटरी बाउंड्री (पृथ्वी की सुरक्षित प्राकृतिक सीमाओं) की अवधारणा पर आधारित है। यह बताता है कि इंसानों को पृथ्वी पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालने से कैसे बचना चाहिए।

शोधकर्ताओं ने ऐसी नौ सीमाएं चिह्नित की हैं, जिन्हें पार करना पृथ्वी के जीवन-समर्थन प्रणालियों को खतरे में डाल सकता है। इसके साथ ही मानव जीवन की नींव को भी बिगाड़ सकता है। साल 2009 तक इनमें से तीन सीमाएं पार हो चुकी थीं। फिर 2015 तक यह संख्या बढ़कर चार हो गई। साल 2023 में यह छह तक पहुंच गई और अब पीआईके के अनुसार नौ में से सात सीमाएं पार हो चुकी हैं।

इस बारे में जर्मन ऑन लाइन पोर्टल ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में पृथ्वी की सेहत के मानकों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीबद्ध तरीके से इसका आंकलन किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, बायोस्फीयर में पृथ्वी की पूरी सतह शामिल है, जहां जमीन और पानी दोनों पर जीव-जंतु और पौधे रहते हैं। वैज्ञानिक इसकी सेहत को दो संकेतकों से मापते हैं। पहला, इसकी उत्पादकता कितनी है और दूसरा, इंसानी दोहन के बाद कितना प्राकृतिक हिस्सा बचा है। इस श्रेणी में हालात को रेड कोड में रखा गया है यानी स्थिति बेदह खराब है।

- पृथ्वी की सेहत से जुड़ी 9 सीमाओं का निर्धारण
- सात में खतरे का निशान पार कर चुकी है पृथ्वी

जैव विविधता पर संकट

इंसानों ने पशुपालन, रासायनिक खाद, और उद्योग व परिवहन में नाइट्रोजन के इस्तेमाल को दोगुना कर दिया है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से कई नकारात्मक असर हुए हैं। अक्सर पौधे इतनी नाइट्रोजन सोख नहीं पाते। यह भूजल में रिसकर नदियों और झीलों में बहने लगता है और समुद्री तटों को प्रदूषित कर देता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी तरह फास्फोरस भी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व जैव विविधता को कम कर देते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर बना देते हैं। यह सीमा खतरे के स्तर के पार निकल चुकी है। यह सीमा भी खथरे के स्तर को पार करते हुए रेड कोड में जा चुकी है।

नए रासायनिक पदार्थों की मार

इंसान आज 3,50,000 लाखों नए बनाने के साथ उनका प्रसार भी कर रहा है। इससे प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ता है खासतौर पर जैविक जीवन इससे प्रभावित होता है। चाहे नीली व्हेल हो या बैक्टीरिया इनका निर्माण मुख्य रूप से सिर्फ छह तत्वों से ही बना होता हैः हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर।

साक्सचेव्स्की का कहना है कि सिर्फ एक अतिरिक्त रसायन भी वैश्विक स्तर पर गंभीर हालात पैदा कर सकता है। वे बताते हैं कि, 'अभी हम ऐसे हाल में हैं जहां हर साल हजारों नए रसायन बिना जांच-परख के पर्यावरण में छोड़े जा रहे हैं'।

पृथ्वी का तापमान

हमारी जलवायु भी अब खतरे में है। ग्रीनहाउस

शोधकर्ताओं ने 'प्लैनेटरी हेल्थ चेक' का मानक साल 2009 में विकसित किया था। यह प्लैनेटरी बाउंड्री (पृथ्वी की सुरक्षित प्राकृतिक सीमाओं) की अवधारणा पर आधारित है। यह बताता है कि इंसानों को पृथ्वी पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालने से कैसे बचना चाहिए। शोधकर्ताओं ने ऐसी नौ सीमाएं चिह्नित की हैं, जिन्हें पार करना पृथ्वी के जीवन-समर्थन प्रणालियों को खतरे में डाल सकता है। इसके साथ ही मानव जीवन की नींव को भी बिगाड़ सकता है।

गैसों का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सबसे चिंता की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। इसे रेडिएटिव फोर्सिंग से मापा जाता है, यानी यह देखना कि पृथ्वी के वातावरण में कितना अतिरिक्त ताप प्रवेश कर रहा है। इस मानक पर तो हम उच्च-जोखिम स्तर पर पहुंच चुके हैं।

ताजे पानी के संसाधनों पर संकट

जल स्रोतों और मिट्टी की नमी पर भी इंसानों का असर तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण सिंचाई एवं उद्योग में पानी का इस्तेमाल है। इससे पानी की उपलब्धता अस्थिर हो रही है। लंबे-नियमित सूखे और औचक बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। अब कुल जमीन के पांचवें हिस्से से भी अधिक पर सूखा, जल बहाव और मिट्टी की नमी में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं।

इस्तेमाल से बेहाल जमीन

पृथ्वी पर बढ़ते बोझ का असर जमीन पर और भी अधिक है। इंसान प्राकृतिक प्रणालियों में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर रहा है। मसलन खेती के लिए जमीन तैयार करना, चारागाह बढ़ाना और लकड़ियां काटना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ताजे पानी की उपलब्धता को बदल रहा है। हालांकि, वनों को काटे जाने की रफ्तार धीमी जरूर हुई है लेकिन दुनियाभर में कुल वन क्षेत्र अभी भी तेजी से घट रहा है। वर्तमान में, वैश्विक वन आवरण 60 फीसदी से कम है। यह सुरक्षित न्यूनतम स्तर 75 फीसदी से काफी कम है। अगर मौजूदा वन क्षेत्र 54 फीसदी से नीचे चला जाता है, तो यहां भी उच्च-जोखिम वाली स्थिति हो जाएगी।

महासागरों की हालत

दुनियाभर के महासागर इंसानों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड के एक चौथाई से भी अधिक हिस्से को सोख लेते है। इसके कारण कार्बन सीधे जलवायु को गर्म नहीं करता, लेकिन यह कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। इससे प्राकृतिक पीएच स्तर घटता है और महासागर अम्लीकरण का शिकार होते हैं। पानी

जितना अधिक अम्लीय होगा, कोरल और शंखधारी जीव अपनी कैल्सियम शेल को बनाने में उतनी ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करेंगे। साक्सचेव्स्की के अनुसार, महासागर यह दर्शाते हैं कि विभिन्न प्लैनेटरी बाउंड्री आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। महासागरों का तापमान बढ़ना, जो कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित है और नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रवाह के मेल से डेड जोन बनता हैं। यानी, ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन ही नहीं है। यह भोजन श्रृंखला और बायोस्फीयर को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही कई नए रसायन जैसे कि प्लास्टिक भी अनंतकाल के लिए महासागरों में घुल जाते हैं।

दो मोर्चों पर अच्छी खबर

ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दो प्लैनेटरी बाउंड्री अभी भी सुरक्षित स्तर पर हैं। वायु प्रदूषण लगातार घट रहा है और हमें हानिकारक अंतरिक्ष विकिरण से बचाने वाली ओजोन परत भी लगातार दुरुस्त हो रही है। ओजोन परत की रिकवरी दर्शाती है कि समय रहते सही कदम उठाकर नकारात्मक रुझानों को पलटा जा सकता है। जब पता चला था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, तो समय रहते 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' के तहत दुनियाभर में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखना यह है कि पृथ्वी की सेहत के विभिन्न मानकों को रेड जोन से बाहर लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं और उसमें कितनी सफलता मिलती है।

–लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं

अजय कुमार खुशबू

मिलिए, भारत के सबसे ईमानदार गांव खोनोमा से...!

- देश का पहला हरित गांव भी है खोनोमा
- आज तक गांव में कोई चोरी नहीं हुई
- बिना दुकानदार की चलती हैं दुकानें
- सामान लो, पैसा दुकान पर रख दो

आपने देश में तमाम ऐसी पंचायतों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कोई अभिनव प्रयोग किया होगा। कहीं साक्षरता को प्राथमिकता दी गई तो कहीं, जैविक खेती को। कोई गांव को स्वच्छता पर खास काम कर रहा है तो कोई हरित ऊर्जा के क्षेत्र में। कई ने स्वयं सहायता समूहों से अपनी विशेष पहचान बनाई।

आज ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के पंचायत कॉलम में एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जो भारत के उत्तर-पूर्व के नागालैंड में है। इस गांव का नाम है खोनोमा। यह देश का सबसे ईमानदार गांव है और यही इसकी सबसे बड़ी भी खौसियत है। खोनोमा देश का पहला हरित गांव भी है। यहां के लोग अपनी ईमानदारी के साथ प्रकृति के प्रति भी बेहद ईमानदार हैं। वे साफ-सफाई के अलावा स्वच्छ वातावरण को लेकर काफी संजीदा हैं।

नागालैंड के खोनोमा गांव भारत की एक ऐसी जगह है जहां दुकानों पर आपको दुकानदार नगीं मिलेंगे। गांव के घरों में ताले लटके नहीं मिलेंगे। हर कोई अपने सामान को लेकर निश्चिंत है। इस गांव को देश का सबसे ईमानदार गांव कहा जाता है। आइए समझते हैं इस खोनोमा गांव की और क्या-क्या खूबियां हैं।

आज के दौर में जहां धोखाधड़ी, फरेब और चोरी आम बात हो गई है, वहीं नागालैंड का एक छोटा सा गांव अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत रहा है। इस गांव में ऐसी दुकानें हैं जहां न कोई दुकानदार होता है और न ही दुकानों पर ताला लगाया जाता है। लोग अपनी जरूरत का सामान खुद लेते हैं और जितने पैसे का सामान लेते हैं, उतने पैसे वहीं रख देते हैं। यहां कोई चोरी नहीं करता और न ही किसी को डर होता है कि उसका नुकसान होगा। इस गांव के लोग सच्चाई और विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं।

बिना दुकानदार के दुकानें और बिना तालों के बंद घर

भारत में कई स्थान अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन नागालैंड का खोनोमा गांव अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए खास पहचान रखता है। इस गांव में वर्षों से ऐसी दुकानें हैं जहां कोई दुकानदार नहीं होता। ग्राहक खुद सामान चुनते हैं और उतनी ही राशि ईमानदारी से रखकर चले जाते हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि इतने सालों में यहां किसी ने चोरी करने की कोशिश तक नहीं की। यही वजह है कि खोनोमा गांव 'ईमानदारी का प्रतीक' कहलाता है।

कहां है खोनोमा गांव?

खोनोमा गांव नागालैंड में स्थित है और यह अपनी ईमानदारी, खूबसूरती और स्वच्छ वातावरण के लिए मशहूर है। यहां के लोग पीढ़ियों से बिना डर और शक के जीवन जीते हैं। दुकानों में सामान के साथ पैसे रखे होते हैं, फिर भी कोई चोरी नहीं करता। गांव वाले मानते हैं कि दूसरों का हक छीनना या धोखा देना गलत है। उनकी यही सोच और संस्कार इस गांव को पूरे

इस गांव में ऐसी दुकानें हैं जहां न कोई दुकानदार होता है और न ही दुकानों पर ताला लगाया जाता है। लोग अपनी जरूरत का सामान खुद लेते हैं और जितने पैसे का सामान लेते हैं, उतने पैसे वहीं रख देते हैं। यहां कोई चोरी नहीं करता और न ही किसी को डर होता है कि उसका नुकसान होगा। इस गांव के लोग सच्चाई और विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं।

खोनोमा गांव भारत का पहला ग्रीन विलेज कहलाता है। यहां के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करते हैं। साफ-सफाई, हरियाली और प्रकृति से प्रेम इस गांव की पहचान है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की ईमानदारी देखने हर साल देश-विदेश से पर्यटक यहां आते हैं।

देश में ईमानदारी का प्रतीक बनाते हैं।

खोनोमा देश का पहला ग्रीन गांव भी है

खोनोमा गांव भारत का पहला ग्रीन विलेज कहलाता है। यहां के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करते हैं। साफ-सफाई, हरियाली और प्रकृति से प्रेम इस गांव की पहचान है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की ईमानदारी देखने हर साल देश-विदेश से पर्यटक यहां आते हैं।

नहीं हुई यहां कभी चोरी

इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आज तक चोरी या अपराध की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। दुकानों पर सालों से ताले नहीं लगाए जाते, फिर भी सामान सुरक्षित रहता है। लोग जितना सामान लेते हैं, उतना ही पैसा ईमानदारी से छोड़ जाते हैं। यह अनोखी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और उम्मीद है कि आगे भी कायम रहेगी।

कैसे पहुंचेंगे खोनोमा गांव?

खोनोमा गांव नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले आप दीमापुर हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, जो नागालैंड

का प्रमुख प्रवेश द्वार है। दीमापुर से कोहिमा तक टैक्सी या बस से करीब 3 घंटे का सफर है। कोहिमा से आप स्थानीय टैक्सी या शेयर जीप लेकर आसानी से खोनोमा गांव पहुंच सकते हैं।

पर्यटकों को खूब भाता है खोनोमा

खोनोमा की यही खूबी देश-विदश के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। नागालैंड की यात्रा पर जाने वाले लोग अक्सर खोनोमा जरूर जाते हैं। वे गांव की स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति लोगों की जिम्मेदारी से विशेष तौर पर बहुत प्रभावित होते हैं।

राजधानी कोहिमा से इसकी निकटता भी बड़ा कारण है कि लोगों के लिए खोनोमा की यात्रा काफी सुविधाजनक है। देश के दूसरे गांवों के लिए भी खोनोमा एक मिसाल है।

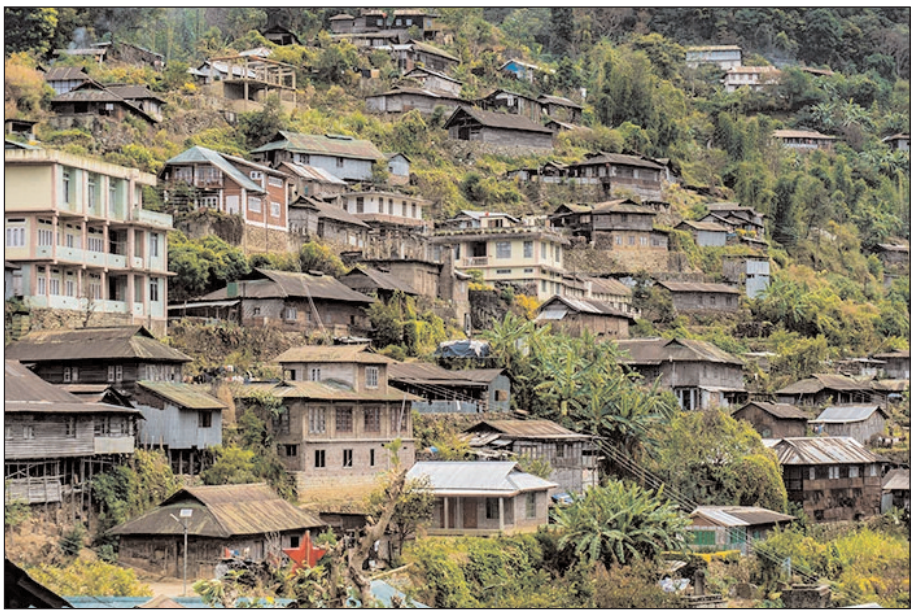

यहां के लोग पीढ़ियों से बिना डर और शक के जीवन जीते हैं। दुकानों में सामान के साथ पैसे रखे होते हैं, फिर भी कोई चोरी नहीं करता। गांव वाले मानते हैं कि दूसरों का हक छीनना या धोखा देना गलत है। उनकी यही सोच और संस्कार इस गांव को पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बनाते हैं।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

डी.के. दुबे

कोचिंग या शैक्षिक संस्थान बीच में छोड़ने पर भी पूरी फीस जब्त नहीं की जा सकती

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने छात्रों के हितों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है। इसके तहत, यदि कोई छात्र कोचिंग या शैक्षणिक संस्थान को बीच में ही छोड़ देता है तो संस्थान उसके द्वारा दी गई पूरे पाठ्यक्रम या साल भर की फीस जब्त नहीं कर सकता। यह छात्रों के अधिकारों की रक्षा में एक अहम कदम है। आयोग ने यह दिशानिर्देश उत्तर प्रदेश से संबंधित एक मामले को देखते हुए जारी किया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी के ये आदेश उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए हैं जिसके बाद सभी जिलों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जिला स्तर पर डीआईओएस या जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी इन मामलों की सुनवाई के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

- गाइडलाइन के दायरे में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सभी स्कूल-कॉलेज भी शामिल
- छात्रों के हित में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने जारी की गाइडलाइन

इस दिशानिर्देश के दायरे में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ सभी स्कूल और कॉलेज भी शामिल हैं। एनसीडीआरसी की पीठ, जिसमें अध्यक्ष डॉ. इंदरजीत सिंह और न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर कुमार जैन शामिल थे, ने स्पष्ट किया है कि यदि छात्र ने संस्थान की सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया है, तो अग्रिम रूप से ली गई फीस को जब्त करने का अधिकार किसी भी कोचिंग सेंटर या शैक्षणिक केंद्र को नहीं है।

आयोग ने यह भी कहा है कि दाखिले के समय लगाई जाने वाली ऐसी शर्तें जिनमें बीच में कोर्स छोड़ने पर फीस न लौटाने का प्रावधान होता है, वे अमान्य और एकतरफा हैं। यदि छात्र को संस्थान की सेवाओं में कमी महसूस होती है या किसी अन्य कारण से वह कोर्स छोड़ना चाहता है, तो उसे बिना किसी आर्थिक नुकसान के ऐसा करने की अनुमति होगी। फीस का वह हिस्सा लौटाना अनिवार्य होगा जिसका उपयोग सेवाओं के रूप में नहीं किया गया है।

नजीर

क्रिमिनल कंप्लेन के कारण हुई देरी को माफी का आधार नहीं माना जा सकता

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया है कि किसी आपराधिक शिकायत के दाखिल होने या लंबित रहने के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्यवाही शुरू करने में देरी को माफ करने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि ऐसी स्वीकृति देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्धारित सीमित अवधि के विधायी उद्देश्य को निष्फल कर देगा।

क्या है पूरा मामला ?

पुष्पेंदु दत्ता चौधरी (शिकायतकर्ता) को सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF), हावड़ा के सामने लूट लिया गया। लूटी गई वस्तुओं में उनकी कई कीमती वस्तुएं शामिल थीं। लूटे गए सामानों में - एक चेन (9,145/-), एक हार (37,789/-), दूसरी चेन (47,018/-), एक सोने की अंगूठी (9,063/-) और एक हॉलमार्क चेन (34,900/-) शामिल थे। शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें भी आईं और उनका सरकारी डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया गया। उसी दिन, शिकायतकर्ता ने हावड़ा सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, कोलकाता के समक्ष ईस्टर्न रेलवे के खिलाफ शिकायत दायर की। जिला आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए ईस्टर्न रेलवे को एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 1,50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।

इस आदेश से असंतुष्ट होकर, ईस्टर्न रेलवे ने पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष अपील दायर की। राज्य आयोग ने दंडात्मक हर्जाने को हटा दिया, लेकिन मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लगाने का निर्देश दिया।

इस फैसले से असंतुष्ट होकर, ईस्टर्न रेलवे ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। ईस्टर्न रेलवे ने तर्क दिया कि जिला आयोग और राज्य आयोग दोनों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि शिकायत समय सीमा से बाहर

> **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा इससे तो उपभोक्ता संरक्षण का मकसद ही खत्म हो जाएगा**

थी, क्योंकि इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित दो साल की सीमा अवधि के बाद दायर किया गया था। ईस्टर्न रेलवे ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता की घटना की कहानी अविश्वसनीय थी। चिकित्सा-कानूनी प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया था कि शिकायतकर्ता ट्रेन में चढ़ते समय गिर गया था और प्रारंभिक चिकित्सा रिपोर्ट में चोरी या लूट का कोई उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, ईस्टर्न रेलवे ने यह भी तर्क दिया कि कथित घटना एक आपराधिक मामला है, जो उपभोक्ता आयोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे आपराधिक अदालतों में सुना जाना चाहिए।

आयोग ने इस बात पर गौर किया कि ईस्टर्न रेलवे ने जिला आयोग के समक्ष सीमा अवधि का मुद्दा उठाया था, लेकिन जिला आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। आगे, राज्य आयोग ने भी इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी की। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी शिकायत समय-सीमा से बाहर नहीं थी क्योंकि उसने पहले GRP में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी और वह चोरी हुए सामान की बरामदगी का इंतजार कर रहा था। जब GRP सामान बरामद करने में असफल रही, तब उसने उपभोक्ता शिकायत दायर करने का फैसला किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि किसी आपराधिक शिकायत का दर्ज किया जाना या लंबित रहना उपभोक्ता शिकायत दायर करने में हुई देरी को माफ करने का वैध आधार नहीं हो सकता। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाता, तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के उद्देश्यों को विफल कर देता।

नजीर

कार निकली गड़बड़, शिकायत के बाद भी नहीं सुधारी खराबी, भरना पड़ा दाम के साथ ब्याज भी

एक जापानी लग्जरी हाईब्रिड कार खरीदने के बाद शोरूम से बाहर सड़क पर उतरते ही खराब हो गई। उसे सुधारने के नाम पर ओडिशा भेजकर महीनों चक्कर लगवाने के बाद कार को खस्ताहाल करके लौटा दिया गया। खराबी दूर नहीं होने पर ऑटोमोबाइल संचालक को खरीदार ने जानकारी दी, लेकिन कार की तकनीकी खराबी को सुधारना तो दूर उसकी शिकायत का जवाब तक नहीं दिया। परेशान होकर खरीदार ने राज्य उपभोक्ता आयोग में दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ घटनाक्रम का ब्योरा दिया। शिकायत में बताया गया कि, जापान की हाईब्रिड कार लेक्सस आरएक्स 350 एच खरीदने के बाद उसकी सर्विसिंग तक नहीं कराई गई। जबकि कई बार वह शोरूम में जाकर कार खराब होने की जानकारी दे चुके थे। कार में स्टार्टिंग प्राब्लम थी और वह चलते-चलते अचानक बंद हो जाती थी।

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चैरड़िया एवं सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उपभोक्ता को नई कार देने का आदेश देते हुए कहा कि, 45 दिनों के भीतर कार की पंजीयन राशि सहित 1 करोड़ 17 लाख 93744 रुपए लौटाए जाएं। वहीं, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के एवज में अतिरिक्त 65000 रुपए भुगतान करने आदेश भी दिया गया।

- राज्य आयोग ने सेवा में कमी का स्पष्ट मामला पाया
- ऑटो डीलर ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया

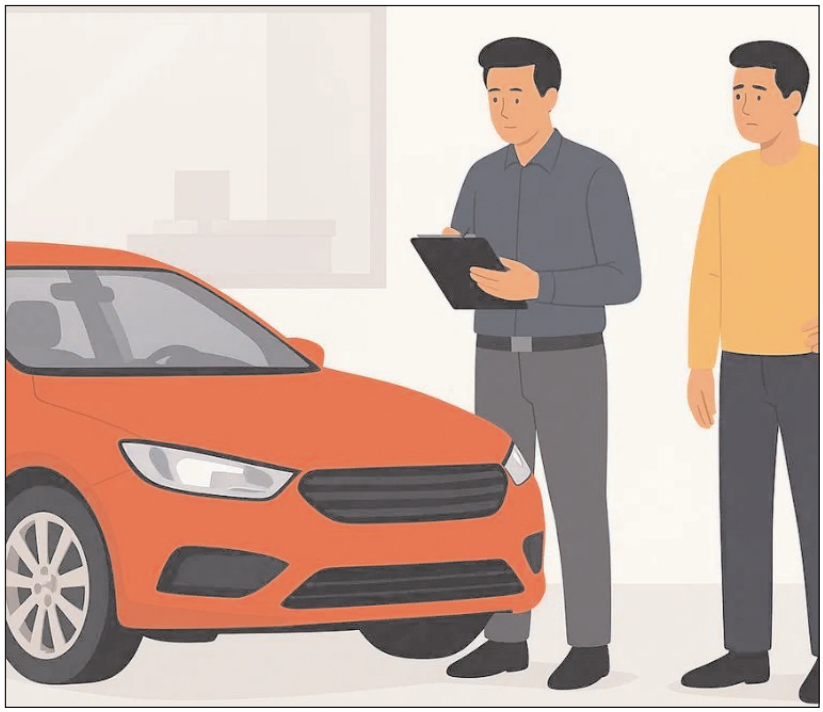

क्या है मामला ?

शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड रायपुर ने अपने सीएमडी के लिए 13 अक्टूबर 2023 में हाईब्रिड कार 1 करोड़ 1 लाख 31174 रुपए में खरीदी। यह वाहन अपने मॉडल का राज्य में प्रथम होने के कारण परिवहन विभाग में कार से संबंधित दस्तावेज निर्माता कंपनी व डीलर ने 6 महीने बाद जमा कराए। 9,00000 रुपए देकर कार का पंजीयन कराया गया। लेकिन, वाहन सड़क पर उतरने के बाद ही खराब हो गया। जांच में पता चला कि बैटरी व करेंट लीकेज की समस्या थी। दूसरी बैटरी लगाने के बाद भी समस्या यथावत रही। इसे देखते हुए मुंबई और दिल्ली भेजकर उसे ठीक कराने की बात कही गई। बाद में कार को सुधारने का झांसा देकर कार को भुवनेश्वर ओडिशा भेजा दिया गया। 4 महीने बाद जब कार को लौटाया गया तो पता चला कि उसमें 6 स्थानों पर स्क्रैच है। शिकायत के बाद भी कार बदलकर और रकम नहीं लौटाने पर आयोग में शिकायत दायर की गई। आयोग अध्यक्ष ने दस्तावेजों का निरीक्षण कर माना कि खरीदार के साथ सेवा में निम्नता बरती गई है। सुनवाई में वाहन के निर्माता लेक्सस इंडिया लिमिटेड एवं सर्विस सेंटर अनुपस्थित रहे। केवल निर्माता की सहयोगी कंपनी के प्रतिनिधि ही उपस्थित रहे। इसे देखते हुए खरीदार को 45 दिन में 1 करोड़ 18 लाख 58744 रुपए लौटाने का आदेश दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि, अगर निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो देय धनराशि पर 9 फीसदी ब्याज भी देय होगा।

-लेखक कानूनी मामलों के जानकार हैं

GST की नई दरों को लेकर ई कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं खेल

उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है घटी दरों का लाभ, रोजाना मिल रही हैं 400 शिकायतें

देश में 22 सितंबर से जीएसटी सुधारों के दूसरे दौर की शुरुवात हुई। नए रेट्स लागू हुए। उपभोक्ता बाजार पर भी इसका तगड़ा असर देखने को मिला। लेकिन इस दौरान एक और बात देखने में आई कि जीएसटी की नई दरों का फायदा बहुत से लोगों को नहीं मिलने की शिकायते भी खूब आ रही है।

जीएसटी की नई दरें लागू हुए एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इस सिसलिसे में अब तक कुल 3500 शिकायतें मिली हैं। रोजाना करीब 400 शिकायतें इस बारे में आ रही हैं।

जीएसटी की नई दरों को लेकर भी लोग काफी भ्रम में है। यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, राजस्थान से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। फूड और रिटेल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी नहीं घटने की शिकायतें मिल रही हैं। ई-कॉमर्स पर जीएसटी नहीं घटने की शिकायतें मिल रही हैं।

शिकायत मिलने पर उपभोक्ता को उनकी शिकायत का नंबर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि, जीएसटी की घटी दरों का फायदा आपको नहीं मिल रहा तो हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत हो सकती है। WhatsApp नंबर - 8800001915 पर भी शिकायत की जा सकती है।

उपभोक्ता मामले विभाग ने जीएसटी शिकायतों के लिए अलग कैटेगरी शुरू की है। ये शिकायतें 17 भाषाओं में की जा सकती है। बता दें कि इस हेल्पलाइन पर हर महीने एक लाख से भी ज्यादा शिकायत मिलती है।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार सख्त

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के रेट कट के बाद ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर सरकार सख्त है।

जीएसटी की नई दरों को लेकर भी लोग काफी भ्रम में है। यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, राजस्थान से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। फूड और रिटेल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी नहीं घटने की शिकायतें मिल रही हैं। ई-कॉमर्स पर जीएसटी नहीं घटने की शिकायतें मिल रही हैं।

सरकार ने इन कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई है। ई कॉमर्स कंपनियों ने कई आइटम्स की कीमतें नहीं घटाईं हैं। इसके चलते जीएसटी में कटौती को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियां सरकार के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने को लेकर सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को फटकार लगाई है।

22 सितंबर से पहले और बाद में सरकार लगातार कीमतों की मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार सभी कैटेगरी की कीमतों पर निगरानी रख रही है। सरकार को ग्राहकों से ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। ज्यादातर शिकायतें FMCG और पैकेज्ड फूड सेक्टर से जुड़ी हुई हैं।

शिकायत

जीएसटी की नई दरें लागू हुए एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इस सिसलिसे में अब तक कुल 3500 शिकायतें मिली हैं। रोजाना करीब 400 शिकायतें इस बारे में आ रही हैं।

शिकायतों के बाद भी बाजार में धूम

त्योहारी सीजन ने इस बार भारतीय बाजार में धूम मचा दी है। 22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स ने उपभोक्ताओं की खरीदारी को किसी उत्सव की तरह तेज कर दिया। बड़े स्क्रीन वाले टीवी, फर्नीचर और मीडियम रेंज फैशन उत्पादों पर टैक्स स्लैब घटाए गए, जिससे कीमतें कम हुईं और हर वर्ग के लोगों को सीधा फायदा मिला।

रिपोर्ट्स के अनुसार, त्योहारी सीजन के शुरुआती दो दिनों में ही ऑनलाइन शॉपिंग में 23 से 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी- 2.0 के तहत बड़े टीवी पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है, जिससे इनकी कीमतों में 6 से 8% तक गिरावट आई और प्रीमियम मॉडल की मांग अचानक बढ़ गई। वहीं, 2,500 रुपये से कम के फैशन आइटम पर जीएसटी सिर्फ 5% हो गया, जिसका असर बिक्री में दिखाई दिया। फर्नीचर की मांग भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म भी इस बूम को पूरी तरह महसूस कर रहे हैं। अमेजन ने पहले दो दिनों में 38 करोड़ से अधिक ग्राहकों का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें से करीब 70% ग्राहक टॉप 9 महानगरों से बाहर के थे। फ्लिपकार्ट पर भी शुरुआती 48 घंटों में पिछले साल की तुलना में 21% ज्यादा यूजर्स दर्ज किए गए। मांग इतनी बढ़ गई थी कि कई एप्स स्लो हो गए और ऑर्डर्स देने के दौरान क्रैश हो गए।

एक ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से बताया गया कि, जीएसटी बचत उत्सव को लेकर शानदार प्रतिक्रिया मिली है और महज 48 घंटों में करोड़ों रुपये के जीएसटी लाभ ग्राहकों तक पहुंचाए गए। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्टफोन या टीवी खरीदने का सपना देखा था, वे अब कम कीमतों का फायदा उठा रहे हैं।

भारत सरकार की यह पहल ऐसे वक्त की गई है जब देश की जीडीपी छह फीसदी से ऊपर बनी हुई है और सरकार घरेलू मांग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अमेरिकी बेस टैरिफ (25%) और अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन त्योहारी खपत में आई उछाल घरेलू बाजार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

GST की दरें न मिलें तो यहां करें शिकायत

जीएसटी की घटी दरों का फायदा आपको नहीं मिल रहा तो हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत हो सकती है। WhatsApp नंबर - 8800001915 पर भी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता मामले विभाग ने जीएसटी शिकायतों के लिए अलग कैटेगरी शुरू की है। ये शिकायतें 17 भाषाओं में की जा सकती है।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

फास्टैग नियमों में संशोधन

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। इसके तहत अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को हाइवे या एक्सप्रेसवे पर दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। नया संशोधन 15 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए एक शर्त है कि यात्रियों को टोल टैक्स का पेमेंट यूपीआई (UPI) के जरिए ही करना होगा। अगर यात्री कैश पेमेंट करते हैं तो उन्हें अभी भी दोगुना टोल ही देना होगा। ऐसा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पेमेंट करें।

चेक क्लीयरेंस नियमों में बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लिरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नया नियम 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। नए नियम के तहत ग्राहकों का चेक कुछ ही घंटों में क्लीयर हो जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था। रिजर्व बैंक के अनुसार, एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा। इसके तहत चेक प्राप्त करने वाले बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा। क्लियरिंग हाउस, चेक की तस्वीरें उन बैंकों को निरंतर आधार पर जारी करेगा, जहां का चेक होगा, जिससे प्रत्येक चेक का निपटान वर्तमान टी+1-दिवसीय क्लियरिंग चक्र के बजाय, लगभग वास्तविक समय के आधार पर किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भरोसा बढ़ा

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष व्यावसायिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने से हेल्पलाइन की पहुंच और दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कॉल की संख्या दस गुना से भी अधिक बढ़ गई है। कॉल की संख्या दिसंबर 2015 में 12,553 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 1,55,138 हो गई है। वहीं, मासिक शिकायत पंजीकरण की औसत संख्या 2017 में 37,062 से बढ़कर 2025 में 1,70,585 हो गई है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डिजिटल माध्यमों की शुरुआत के साथ, हेल्पलाइन पर लगभग 65 प्रतिशत उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से दर्ज की जाती हैं। वॉट्सऐप के माध्यम से शिकायत पंजीकरण में वृद्धि देखी गई है, जो मार्च 2023 में 3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 20 प्रतिशत हो गई है।

विविध

उज्ज्वला में 25 लाख नए कनेक्शन

केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए कनेक्शन को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के साथ, पीएमयूवाई कनेक्शन की कुल संख्या बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने 676 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। उज्ज्वला योजना का पहला चरण इतना सफल रहा कि केंद्र सरकार ने इसका दूसरा चरण भी लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे धुएं से भरे चूल्हों से मुक्ति पा सकें और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। पहले चरण में 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत जारी किए गए। इस योजना में गरीब परिवारों को 550 रुपए में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा रहा है।

एटीएम संबंधी नियमों में संशोधन

एटीएम से संबंधित नए नियमों के अनुसार अब आप अपने बैंक के एटीएम से महीने में केवल पांच बार मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं। यह सीमा आपके अपने बैंक के एटीएम के लिए है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करते हैं तो मुफ्त लेनदेन की सीमा और भी कम हो जाती है। यह सीमा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के शहर में रहते हैं। मेट्रो शहरों और गैर-मेट्रो शहरों के लिए अलग-अलग नियम हैं। मेट्रो शहरों में यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करते हैं तो आपको महीने में केवल तीन मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे। मेट्रो शहरों में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहर शामिल हैं। वहीं गैर-मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है।

रेल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी

रेल मंत्रालय के अनुसार, अब रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। IRCTC और रेलवे काउंटर दोनों पर टिकट बुकिंग के दौरान अब आधार वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब किसी भी व्यक्ति को टिकट बुक करने के लिए पहले अपना आधार लिंक और सत्यापन करवाना जरूरी होगा। इन नियमों के तहत जनरल रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल आम यात्रियों को टिकट बुक करने की अनुमति होगी। इस अवधि में कोई भी एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेगा। इसका उद्देश्य यह है कि सामान्य यात्रियों को आसानी से टिकट उपलब्ध हो सके और एजेंटों के जरिए टिकट ब्लॉक करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सभी नियम 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

खेती में मुनाफे का नया प्रयोग, किसान ड्रोन

मिल रही है बंपर सब्सिडी, महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण

भारत में खेती को अधिक उत्पादक बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। नई तकनीकों, सब्सिडी, बिजली एवं सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के अलावा सरकार तमाम कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी दे रही है। इसी क्रम में खेती में वर्तमान समय में खेती में ड्रोन का इस्तेमाल काफी फायदेमंद माना जा रहा है। ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें इस पर सब्सिडी दे रही हैं। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पैदावार बेहतर होगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी।

आपको बता दें कि ड्रोन की कीमत काफी ज्यादा है, जिसके कारण किसान इसे नहीं खरीद पाते हैं। इसी वजह से केंद्र और राज्य सरकारें इस पर सब्सिडी का लाभ दे रही हैं। ड्रोन की खरीद पर किसानों को 75 फीसदी तक की बंपर सब्सिडी का फायदा मिल रहा है।

किसे मिलेगा लाभ?

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन की खरीद पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी की घोषणा की है। इस योजना से किसानों के अलावा कृषि प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि उत्पादक संगठन, कृषि स्नातक युवा, एससी/एसटी वर्ग और महिला किसानों को भी लाभ होगा।

ड्रोन पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

कृषि प्रशिक्षण संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन खरीदने पर प्रति ड्रोन 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को कृषि ड्रोन की लागत पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। एससी, एसटी वर्ग के किसानों, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। देश के अन्य किसानों को 40 फीसदी यानी अधिकतम 4 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

किसानों को ड्रोन से क्या फायदे हैं?

किसानों के लिए ड्रोन से फायदे की बात करें तो यह एक आधुनिक उपकरण है। इससे किसानों को कई लाभ मिलते हैं। किसान सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्रोन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा यह जीपीएस और कई सेंसर से लैस है। ड्रोन में एक कैमरा और कीटनाशक छिड़काव उपकरण भी दिया गया है।

ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है

इसके अलावा आप इस ड्रोन की ट्रेनिंग भी आसानी से ले सकते हैं। महिलाओं को किसान ड्रोन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होती है जबकि ड्रोन ट्रेनिंग के लिए पुरुषों को सिक्योरिटी मनी देनी होती है।

ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (आरपीटीओ) के केंद्रों पर किया जा रहा है। ये केंद्र नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

मौसम की मार से सोयाबीन बेहाल

सरकार से मुआवजे की मांग, फसल बीमा की राशि भी देने की जरूरत

सोयाबीन की उपज इस बार किसानों के लिए निराशाजनक रही है। सामान्य तौर पर एक बीघा खेत से लगभग तीन क्विंटल सोयाबीन निकलती है, लेकिन इस वर्ष मौसम की मार और कीट-रोग के प्रकोप ने हालात ऐसे बना दिए कि उपज घटकर सिर्फ 50 से 60 किलो प्रति बीघा रह गई है। इसका सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। खेतों में मेहनत और लगाई गई लागत पूरी तरह डूब गई है।

किसानों का कहना है कि औसतन एक बीघा खेत से यदि 50 किलो सोयाबीन भी निकलती है और उसका बाजार भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल माना जाए, तो कुल आय मात्र 2,000 रुपए ही बनती है। वहीं दूसरी ओर, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, मजदूरी और मशीनरी का खर्च जोड़कर प्रति बीघा लागत करीब 12,000 रुपये बैठती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों को प्रति बीघा लगभग 10,000 रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। यह घाटा सिर्फ इस सीज़न तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगली फसल की तैयारी और बुवाई पर भी असर डालेगा क्योंकि किसानों के पास नई लागत जुटाने की समस्या खड़ी हो गई है।

किसानों की परेशानी

फसल खराब होने की वजह से अब किसानों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ घर-परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और दूसरी ओर अगली फसल के लिए बीज व खाद खरीदने की चिंता भी उन्हें खाए जा रही है। जिन किसानों ने उधारी लेकर खेतों में बुवाई की थी, वे अब कर्ज लौटाने की स्थिति में भी नहीं हैं। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद गंभीर है क्योंकि खेती पर ही गांव के अधिकतर परिवारों की आजीविका टिकी हुई है।

उपज घटने के प्रमुख कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार उपज कम होने के कई कारण रहे। सबसे बड़ा कारण मौसम की मार रही। कहीं अत्यधिक वर्षा हुई तो कहीं बारिश के लंबे अंतराल ने पौधों की बढ़वार रोक दी। कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया,

जिससे पौधे जड़ से सड़ गए। वहीं, कुछ जगहों पर कीट और रोगों का प्रकोप भी ज्यादा देखने को मिला। सोयाबीन में तना मक्खी, पत्तों को खाने वाले कीट और पीलिया रोग का असर उपज पर साफ दिखाई दिया। इसके अलावा, किसानों का यह भी कहना है कि इस बार बीज की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रही, जिससे पौधे पूरी क्षमता से नहीं बढ़ पाए।

सरकार से उम्मीदें और योजनाएं

किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि जब इतनी बड़ी हानि हुई है तो सरकार को सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि उपलब्ध करानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसे समय में किसानों के लिए मददगार हो सकती है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग के कारण फसल खराब होने पर किसानों को बीमा राशि दी जाती है। कई किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या यह है कि भुगतान में अक्सर देरी होती है। किसानों की मांग है कि इस बार सर्वेक्षण और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें।

किसानों के लिए सुझाव

विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को अगली बार बुवाई से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, खेत में जलनिकासी की अच्छी व्यवस्था होना जरूरी है ताकि बारिश के समय पानी खेत में ज्यादा देर तक न रुके। दूसरा, बीज हमेशा प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। बुवाई से पहले बीज का उपचार करना बेहद जरूरी है ताकि रोग-कीट का असर कम हो।

फसल की सुरक्षा के लिए समय-समय पर खेत का निरीक्षण करना चाहिए और कीटनाशक का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह पर करना चाहिए। साथ ही, मिट्टी परीक्षण कराकर ही उर्वरक डालें ताकि खेत में पोषक तत्वों का सही संतुलन बना रहे। जैविक खाद और गोबर की खाद का प्रयोग करने से भी मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है।

भविष्य की राह

सोयाबीन मध्य भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है। यह न सिर्फ तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके अवशेष पशु-चारे और मिट्टी सुधार के लिए भी उपयोगी हैं। लेकिन लगातार नुकसान झेल रहे किसान तभी खेती जारी रख पाएंगे जब उन्हें समय पर राहत मिले। सरकार को चाहिए कि न सिर्फ मुआवजा दे बल्कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी भी उपलब्ध कराए।

Elevate Your Public Image

Amplifying Your Brand's Voice

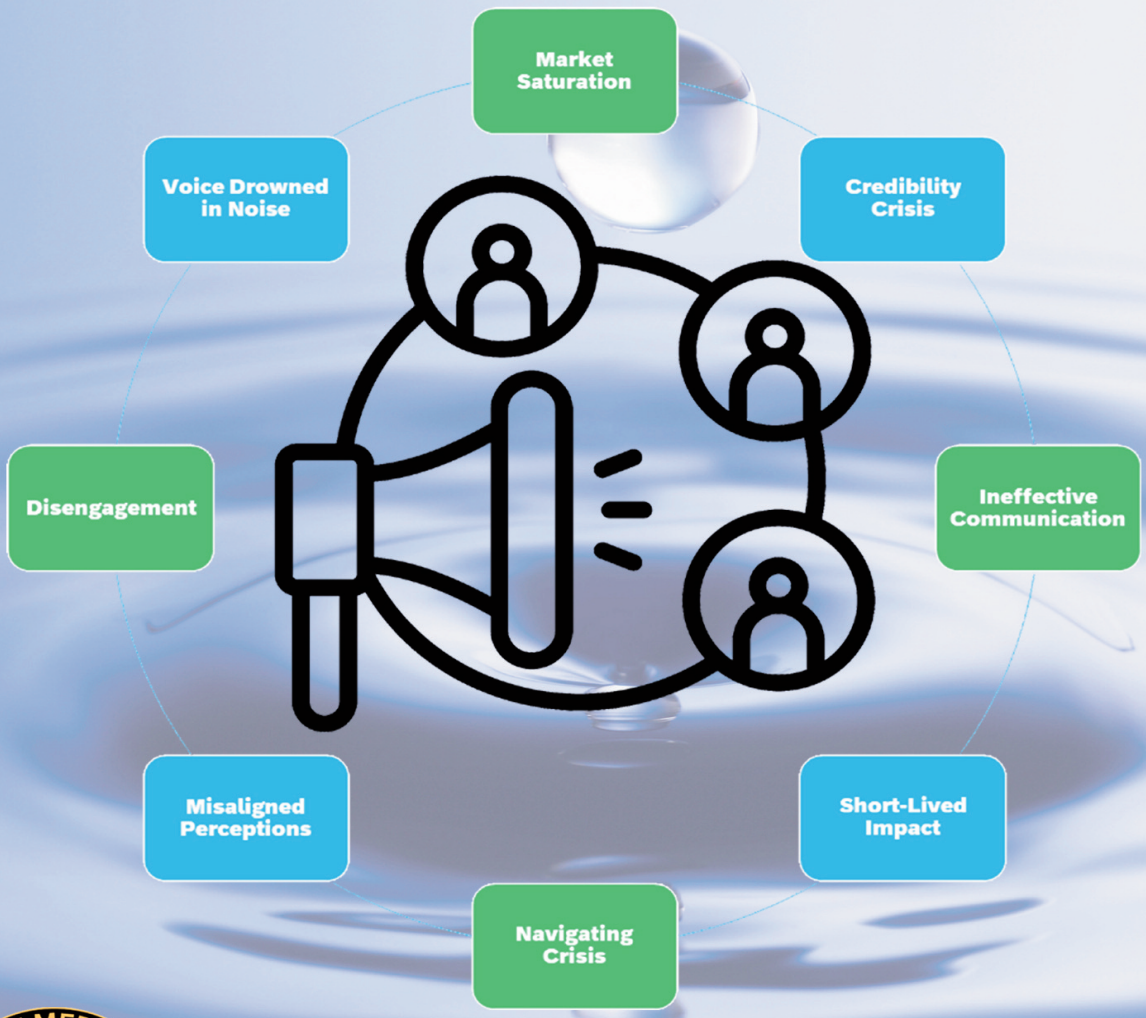

Pratidhwani Media Initiative Pvt. Ltd.

Contact Information

Email: pratidhwanimediainitiative@gmail.com
Website: www.pratidhwanimedia.com
Address: 101, Shahpuri Tower, C-58, Community Center, Janakpuri, New Delhi - 110058

Atulyam

Atulyam Multi State Multi Purpose Cooperative Society

Multi-State Cooperative Society Registered with Registrar of Multi State Cooperative Societies under Multistate Co-operative Societies Act, 2002 (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, GoI)

CONTACT US

Head Office

101, Shahpuri Tower
C - 58, Community Centre
Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone No. - 011-45733115/ 9810085115
Email: atulyam.mscs@gmail.com
www.atulyam.org

Regional Office (Bihar)

Uphrail Chauk,
Ward No. -10, Bypass
Purnea, Bihar –854315